रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032024-252847 CG-DL-E-11032024-252847

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945

No. 1601

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

सा.का.नि. 172(अ).—केंद्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिकता नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. नागरिकता नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"10क. धारा 6ख के अधीन अर्हित व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन- (1) रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए धारा 6ख के अधीन पात्र व्यक्ति से कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि—

(क) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शर्तों को पूरा करने वाले भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा, आवेदन प्ररूप-2क में प्रस्तुत नहीं किया गया है और नियम 4 के खंड (क) और खंड (ख) के सिवाय उक्त नियम के अनुसार नहीं है ; या

1762 GI/2024 (1)

- (ख) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत के नागरिक से विवाहित हैं, भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए, आवेदन प्ररूप-3क में प्रस्तुत नहीं किया गया है और नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (क) और खंड (ख) के सिवाय उक्त नियम के अनुसार नहीं है; या
- (ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ऐसे व्यक्ति का अप्राप्यवय बालक है, जो भारत का नागरिक है, भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए, आवेदन प्ररूप-4क में प्रस्तुत नहीं किया गया है और नियम 6 के खंड (क) के सिवाय उक्त नियम के अनुसार नहीं है; या
- (घ) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए, आवेदन प्ररूप-5क में प्रस्तुत नहीं किया गया है और नियम 7 के खंड (क) और खंड (ख) के सिवाय उक्त नियम के अनुसार नहीं है ; या
- (ङ) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो या तो स्वयं या उसके माता-पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक थे, भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए, आवेदन प्ररूप-6क में प्रस्तुत नहीं किया गया है और नियम 8 के खंड (क) और खंड (ख) के सिवाय उक्त नियम के अनुसार नहीं है; या
- (च) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारतीय विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, आवेदन प्ररूप-7क में प्रस्तुत नहीं किया गया है और नियम 9 के खंड (क) और खंड (ख) के सिवाय उक्त नियम के अनुसार नहीं है ; या
- (छ) देशीयकरण द्वारा नागरिकता को अनुदत्त करने के लिए तीसरी अनुसूची के उपबंधों के अधीन देशीयकरण के लिए अर्हताओं को पूरा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन प्ररूप-8क में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है-
- (i) आवेदन में किए गए कथन की सत्यता को सत्यापित करने वाले शपथपत्र के साथ आवेदक के चरित्र को प्रमाणित करने वाले एक भारतीय नागरिक का शपथपत्र: और
- (ii) आवेदक की यह घोषणा कि वह संविधान की आठवीं अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान रखता है।

स्पष्टीकरण- आवेदक को संबंधित भाषा का पर्याप्त ज्ञान समझा जाएगा, यदि वह उस भाषा को बोल या पढ़ या लिख सकता है।

- (2) उपनियम (1) के अधीन आवेदक द्वारा किए गए प्रत्येक आवेदन में इस निमित्त यह घोषणा होगी कि उसके देश की नागरिकता का अप्रतिसंहरणीय रूप से समापन हो जाएगा यदि उसका आवेदन अनुमोदित हो जाता है और वह भविष्य में इस पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेगा।
 - (3) इस नियम के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे-
 - (क) अनुसूची 1क में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति;
 - (ख) अनुसूची 1ख में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति;
 - (ग) अनुसूची 1ग में विनिर्दिष्ट प्रारूप में शपथपत्र।"।
 - 3. उक्त नियम के नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "11क. प्राधिकरण जिसे धारा 6ख के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जा सकेगा- (1) धारा 6ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण के लिए आवेदन, आवेदक द्वारा जिला स्तरीय समिति के माध्यम से सशक्त समिति को, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, इलेक्ट्रानिक प्ररूप में, प्रस्तुत किया जायेगा।
 - (2) आवेदन की प्राप्ति पर प्ररूप-9 में एक पावती इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्त हो जाएगी।
- (3) नामनिर्दिष्ट अधिकारी की अध्यक्षता में ऐसी जिला स्तरीय समिति जो विनिर्दिष्ट की जाए, आवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करेगी।

- (4) नामनिर्दिष्ट अधिकारी आवेदक को नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट राज्यनिष्ठा की शपथ दिलाएगा और तत्पश्चात् राज्यनिष्ठा की शपथ पर हस्ताक्षर करेगा और उसे सशक्त समिति को दस्तावेजों की सत्यापन संबंधी पृष्टि के साथ इलेक्ट्रानिक प्ररूप में प्रस्तुत करेगा।
- (5) यदि आवेदक आवेदन को प्रस्तुत करने और राज्य निष्ठा की शपथ लेने में उचित अवसर देने के पश्चात् भी उपस्थित होने में असफल रहता है तो जिला स्तरीय समिति ऐसे आवेदन के इन्कार पर विचार करने के लिए सशक्त समिति को अग्रेषित करेगी।
 - 4. उक्त नियमों में, नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "13क. सशक्त समिति द्वारा आवेदनों की समीक्षा- (1) नियम 11क में निर्दिष्ट सशक्त समिति धारा 6ख के अधीन किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता अनुदत्त करने के लिए आवेदन की समीक्षा कर सकेगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदन सभी परिप्रेक्ष्यों में पूर्ण है और आवेदक धारा 6ख में अधिकथित सभी शर्तों को पूरा करता है।
- (2) ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवेदक की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए आवश्यक समझे, समाधान हो जाने पर कि आवेदक यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण के लिए उपयुक्त व्यक्ति है, सशक्त समिति उसे भारत की नागरिकता अनुदत्त कर सकेगी।"।
- 5. उक्त नियमों में नियम 14 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातु:-
- "(2क) प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 6ख के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, को यथास्थिति, प्ररूप 10क या प्ररूप 11क में रजिस्ट्रीकरण का डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा ।
- (2ख) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की हार्ड प्रति आवेदक को उस दशा में जारी की जाएगी जब वह उसका विकल्प चुनता है।
- (2ग) प्रमाणपत्र पर सशक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे या हस्ताक्षर किए जाएंगे।"।
- 6. उक्त नियमों में नियम 15 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
- "(1क) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 6ख के अधीन देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है उसे प्ररूप 12क में देशीयकरण का डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- (1ख) देशीयकरण के प्रमाणत्र की एक हार्ड प्रति उस दशा में जब वह उसके लिए विकल्प चुनता है, आवेदक को जारी की जाएगी।
- (1ग) प्रमाणपत्र सशक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा या हस्ताक्षरित किया जाएगा।"।
 - 7. उक्त नियम के, नियम 17 में,--
- (i) खंड (क) में, "धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ङ) और खंड (च)" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 6ख" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) खंड (ख) में, "धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग)" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 6ख" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (iii) खंड (ग) में, "धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (घ)" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 6ख" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

- (iv) खंड (घ) में, "धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (च)" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 6ख" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (v) खंड (ङ) में, "धारा 6 की उपधारा (1)" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 6ख" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- 8. उक्त नियम के, नियम 38 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "(3) धारा 6ख के अधीन प्रस्तुत किसी आवेदन के मामले में, धारा 5 की उपधारा (2) या धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित राज्यनिष्ठा की शपथ तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक नियम 11क में यथा विनिर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की उपस्थित में हस्ताक्षरित न की जाए या उसके द्वारा न दिलाई जाए।"
 - 9. उक्त नियम की अनुसूची 1 में,--
 - (i) प्ररूप 2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप 2क

[नियम 10क (1) (क) देखें]

नागरिकता नियम, 2009

अधिनियम की धारा 5 (1) (क) के अधीन शर्तों को पूरा करने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ख के अधीन भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए किया गया आवेदन

टिप्पण: कृपया सुस्पष्ट अक्षरों में लिखें/मुद्रण करें

भारत में प्रवेश की तारीख

(क)

भाग 1

फोटो चित्र

1.	मैं, (आवेदक का पूरा नाम) निवासी (पूरा डाक पता)
	का वय: प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य का/की हूँ तथाकोको(तहसील, जिला, राज्य और देश सहित)
	में पैदा हुआ था/हुई थी औरका नागरिक हूँ ।
2.	मेरे पिता का नामहै और उनका जन्म
	(तहसील, जिला, राज्य और देश
	सहित) में हुआ था और वहका नागरिक है ।
3.	मेरे माता का नामहै और उनका जन्म
	(तहसील, जिला, राज्य और देश सहित) में
	हुआ था और वहकी नागरिक है।
4.	मेरी पत्नी/पति का पूरा नाम है और उसका जन्म
	को (तहसील,
	जिला, राज्य और देश सहित) में हुआ था वह
E	
ວ.	भारत में निवास के ब्यौरे :

(ख)	मैने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 12 मास की अवधि के	
	दौरान लगातार भारत में निवास किया है	

हां/नहीं

(ग) बारह मास की उक्त अवधि से ठीक पूर्ववर्ती आठ वर्षों के दौरान, मैं छह वर्ष से अन्यून की सकल अवधि के लिए भारत में रहा हूं हां/नहीं

(घ) अंतिम नौ वर्षों के लिए भारत में निवास के पते सहित ब्यौरे

क्र. सं.	अंतिम नौ वर्षों के लिए भारत में निवास के पते सहित ब्यौरे	से	तक	वर्ष मास
1	2	3	4	5

6	(क)	लिंग :	
U.	1 -1/1	1/1/1	

- (ख) उपजीवीका :
- (ग) यदि सेवारत है तो नियोजक का पता :
- (घ) पहचान चिन्ह :
- 7. कृपया विनिर्दिष्ट करे कि आप अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान से किस अल्पसंख्यक समुदाय, अर्थात्, हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित है :
- 8. पासपोर्ट की विशिष्टियां : (यदि उपलब्ध हैं)
 - (क) देश :....
 - (ख) संख्यांक :
- 9. वीज़ा कब तक विधिमान्य है (यदि उपलब्ध हैं) :
- 10. परिवार के सदस्यों के ब्यौरे, जो भारत में आवेदक के साथ रह रहे हैं:

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पता	संबंध	आयु
1	2	3	4	5

11. आपराधिक कार्यवाहियों के ब्यौरे, यदि कोई हो :

क्र. सं.	आपराधिक कार्यवाहियों की प्रकृति	मामले के रजिस्ट्रीकरण की तारीख और स्थान	मामले की वर्तमान प्रास्थिति	न्यायालय का निर्णय
1	2	3	4	5

भाग 2

12. मैंने भारत की नागरिकता को पूर्व में त्यागा/नहीं त्यागा है या मुझे भारत कि नागरिकता से वंचित किया गया/नहीं किया गया है।

(यदि आवेदक ने अपनी भारत की नागरिकता को त्यागा है, यहां उस तारीख का उल्लेख करे, जिसको त्याग की घोषणा की गई है ; या यदि उसे उसकी नागरिकता से वंचित किया गया है, तो वह तारीख, जिसको और प्राधिकारी,

*पदनाम

जिसके द्वारा वंचन का आदेश किया गया था. कथित किये जाएं।)

- 13. मैंने भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्व में आवेदन किया/नहीं किया है और आवेदन खारिज किया/नहीं किया गया है।
- 14. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा आशय भारत को अपना स्थायी घर बनाने का है और मैं वचन देता हूं कि मेरे आवेदन का अनुमोदन होने की दशा में, मेरे देश की नागरिकता अप्रतिसंहरणीय रूप में त्यागी मानी जाएगी और मैं भविष्य में इस पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा।

	में इस पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा ।
15.	मैं,, सत्यिनिष्ठा और शुद्ध हृदय से यह घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में कथित, पूर्वगामी विशिष्टियां सत्य हैं और मैं इसके सत्य होने का शुद्ध अंत:करण से विश्वास करते हुए यह सत्यिनिष्ठ घोषणा करता हूं।
	तारीख: आवेदक के हस्ताक्षर :
	तारीख, 20 को मेरे समक्ष घोषणा की गई है और हस्ताक्षर किए गए हैं ।
	*हस्ताक्षर
	*पदनाम
	राजनिष्ठा की शपथ
भार	
	आवेदक के हस्ताक्षर
	तारीख, 20 को मेरे समक्ष प्रतिज्ञान किया गया/शपथ ली गई और हस्ताक्षर किए गए ।
	*हस्ताक्षर

*नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

(सभी प्रकार से पूर्ण यह प्ररूप नियम 11क के अधीन उस नामनिर्दिष्ट अधिकारी को, नियम 11क में निर्दिष्ट सशक्त समिति को प्रेषित करने के लिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसकी अधिकारिता में आवेदक सामान्य रूप से निवासी है।)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- 1. अनुसूची 1क में के किसी दस्तावेज की प्रति
- 2. अनुसूची 1ख में के किसी दस्तावेज की एक प्रति
- 3. अनुसूची 1ग के अनुसार रूपविधान में शपथ-पत्र
- 4. विधिमान्य या समाप्त हुए विदेशी पासपोर्ट की प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 5. विधिमान्य या समाप्त हुए निवासी परमिट की प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 6. माता-पिता की जन्म-तिथि का साक्ष्य, अर्थात् पासपोर्ट या जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति । माता/पिता का पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में, आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें माता/पिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता स्पष्ट

रूप से उपदर्शित हो।";

(ii) प्ररूप 3 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप 3क

[नियम 10क(1)(ख) देखें]

नागरिकता नियम, 2009

ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत के किसी नागरिक से विवाहित है या रहा है, जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(ग) के अधीन शर्तों को पूरा करता है, अधिनियम की धारा 6ख के अधीन भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

टिप्पण : कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें/प्रिंट करें

भाग 1

फोटो

1.	मैं,(आवेदक का पूरा नाम) निवासी(पूरा डाक पता) व वय: प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य का/की हूँ तथाकोको(तहसील, जिला, राज्य और देश सहित)	
	पैदा हुआ था/हुई थी औरका नागरिक हूँ ।	•
2.	मेरे पिता का पूरा नाम है और उनका जन्	न क
	(पूर्ण डाक पता) में हुआ था और व	•
		16
_		
3.	मेरी माता का पूरा नाम है और उनका जन् -	_
		有
		۲.
4.	मेरा विवाह, श्री/श्रीमती (पति/पत	र्त्र
	का पूरा नाम) से	ત્ર
	और देश सहित) में हुआ था।	
5.		क
	(तहसील, जिला, राज्य और देश सहित) में हुआ था और व	
	जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण*/देशीयकरण* द्वारा भारत का/की नागरि	্ব
	है।	
6.	मेरा विवाह अस्तित्व में है । हां / नहीं	
7.	भारत में निवास के ब्यौरे :	
	(क) भारत में प्रवेश की तारीख	
	(ख) मैने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 12 मास की अवधि के हां/नहीं	
	दौरान लगातार भारत में निवास किया है	

(घ) अंतिम नौ वर्षों के लिए भारत में निवास के पते सहित ब्यौरे

क्र. सं.	अंतिम नौ वर्षों के लिए भारत में निवास के पते सहित ब्यौरे	से	तक	वर्ष मास
1	2	3	4	5

8.	(क) लिंग:
	(ख) उपजीवीका :
	(ग) यदि सेवारत है तो नियोजक का पता :
	(घ) पहचान चिन्ह:
9.	कृपया विनिर्दिष्ट करे कि आप अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान से किस अल्पसंख्यक समुदाय, अर्थात्, हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित है
10.	पासपोर्ट की विशिष्टियां : (यदि उपलब्ध हैं)
	(क) देश :

- 11. वीज़ा कब तक विधिमान्य है (यदि उपलब्ध हैं) :
- 12. परिवार के सदस्यों के ब्यौरे, जो भारत में आवेदक के साथ रह रहे हैं :

(ख) संख्यांक :

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पता	संबंध	आयु
1	2	3	4	5

13. आपराधिक कार्यवाहियों के ब्यौरे, यदि कोई हो:

क्र. सं.	आपराधिक कार्यवाहियों की प्रकृति	मामले के रजिस्ट्रीकरण की तारीख और स्थान	मामले की वर्तमान प्रास्थिति	न्यायालय का निर्णय
1	2	3	4	5

भाग 2

14. मैंने भारत की नागरिकता को पूर्व में त्यागा/नहीं त्यागा है या मुझे भारत कि नागरिकता से वंचित किया गया/नहीं किया गया है।

(यदि आवेदक ने अपनी भारत की नागरिकता को त्यागा है, यहां उस तारीख का उल्लेख करे, जिसको त्याग की घोषणा की गई है ; या यदि उसे उसकी नागरिकता से वंचित किया गया है, तो वह तारीख, जिसको और प्राधिकारी, जिसके द्वारा वंचन का आदेश किया गया था, कथित किये जाएं।)

15. मैंने भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्व में आवेदन किया/नहीं किया है और आवेदन खारिज किया/नहीं किया गया है।

16. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा आशय भारत को अपना स्थायी घर बनाने का है और मैं वचन देता हूं कि मेरे आवेदन
का अनुमोदन होने की दशा में, मेरे देश की नागरिकता अप्रतिसंहरणीय रूप में त्यागी मानी जाएगी और मैं भविष्य
में इस पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा ।
17. मैं, करता हूं कि इस आवेदन में कथित, पूर्वगामी विशिष्टियां सत्य हैं और मैं इसके सत्य होने का शुद्ध अंत:करण से विश्वास करते हुए यह सत्यनिष्ठ घोषणा करता हूं।
तारीख: आवेदक के हस्ताक्षर :
तारीख, 20 को मेरे समक्ष घोषणा की गई है और हस्ताक्षर किए गए हैं ।
**हस्ताक्षर
**पदनाम
राज्यनिष्ठा की शपथ
मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं (या शपथ लेता हूं) कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा और मैं ईमानदारी से भारत की विधियों का पालन करूंगा और
भारत के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करूंगा।
आवेदक के हस्ताक्षर
तारीख, 20 को मेरे समक्ष प्रतिज्ञान किया गया/शपथ ली गई और हस्ताक्षर किए गए ।
**हस्ताक्षर
**पदनाम
*यदि भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण से है तो, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण के

प्रमाणपत्र का नंबर और तारीख वर्णित करें।

**नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

(सभी प्रकार से पूर्ण यह प्ररूप नियम 11क के अधीन उस नामनिर्दिष्ट अधिकारी को, नियम 11क में निर्दिष्ट सशक्त समिति को प्रेषित करने के लिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसकी अधिकारिता में आवेदक सामान्य रूप से निवासी है।)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- 1. अनुसूची 1क में के किसी दस्तावेज की प्रति
- 2. अनुसूची 1ख में के किसी दस्तावेज की एक प्रति
- 3. अनुसूची 1ग के अनुसार रूपविधान में शपथ-पत्र
- 4. विधिमान्य या समाप्त हुए विदेशी पासपोर्ट की प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 5. विधिमान्य या समाप्त हुए निवासी परमिट की प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 6. उसके पति/उसकी पत्नी की भारतीय नागरिकता का साक्ष्य, अर्थात् भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति
- 7. विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्र की प्रति ।";
- (iii) प्ररूप 4 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप 4क

[नियम 10क(1)(ग) देखें]

नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(घ) के अधीन शर्तों को पूरा करने वाले अप्राप्तवय बालक का अधिनियम की धारा 6ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

टिप्पण : कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें/प्रिंट करें

भ	ाग	I
•	٠,	-

फोटो

1.	अवयस्य	क बालक का पूरा नाम :							
2.	लिंग :								
3.	जन्म क	ा स्थान और देश							
4.	जन्म की	ो तारीख :							
5.	पहचान	चिह्न							
6.	वर्तमान	पता							
7.	(i)	पिता का पूरा नाम :							
	(ii)	भारत का जन्म/वंश/रजिस्ट्रीकरण*/देशीयकरण* से नागरिक:							
	(iii)	उपजीविका :							
	(iv)	पासपोर्ट की विशिष्टियां (यदि उपलब्ध हों) :							
		(क) देश(ख) संख्या							
	(v)	वीजा जब तक वैध है (यदि उपलब्ध हो)							
8.	(i)	माता का पूरा नाम :							
	(ii)	भारत का जन्म/वंश/ रजिस्ट्रीकरण*/देशीयकरण* से नागरिक:							
	(iii)	उपजीविका:							
	(iv)	पासपोर्ट की विशिष्टियां (यदि उपलब्ध हों) :							
		(क) देश (ख) संख्यांक :							
	(v)	वीजा जब तक वैध है (यदि उपलब्ध हो)							
9.	कृपया वि	वेनिर्दिष्ट करे कि आप अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान से किस अल्पसंख्यक							
	ग्राच्या	अर्थात्, हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित है :							
	त्तमुपाप,	जनात् । हिन्दू । तव, नाव, नात, ।। ता जार स्तार त तनावत है।							

11.अपराधिक कार्यवाहियों का ब्यौरा, यदि कोई हो

क्रम. सं.	अपराधिक कार्यवाहियों की प्रकृति			न्यायालय का निर्णय
I	2	3	4	5

0		· T
31	141	

12.		भारत क भिभावक जिससे पूर्वगामी विशिष्टियां संबंधित हैं, मे प में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं ।
13.	•	्बालक के संबंध में स्थायी घर बनाने का है और मैं यह वचन । में उसके देश की नागरिकता अप्रतिसंहरणीय रूप से त्यागी ।वा प्रस्तुत नहीं करेगा ।
	तारीख	माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर
14.	मैं, सत्यनिष्ठा से और निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं सत्यनिष्ठ घोषणा विवेकपूर्ण यह विश्वास करते हु	कि आवेदन में कथित पूर्वगामी विशिष्टियां सत्य है और मैं यह ए कर रहा हूं कि वह सत्य है ।
	तारीख	माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर
	आज तारीख 20 को मेरे सम	क्ष की गई और हस्ताक्षरित की गई।
		**हस्ताक्षर
		**पदनाम

*यदि भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण से है तो, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण के प्रमाणपत्र का नंबर और तारीख वर्णित करें।

**नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम।

(सभी प्रकार से पूर्ण यह प्ररूप नियम 11क के अधीन उस नामनिर्दिष्ट अधिकारी को, नियम 11क में निर्दिष्ट सशक्त समिति को प्रेषित करने के लिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसकी अधिकारिता में आवेदक सामान्य रूप से निवासी है।)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- I. अनुसूची 1क में के किसी दस्तावेज की प्रति
- 2. अनुसूची 1ख में के किसी दस्तावेज की प्रति
- 3. अनुसूची 1ग के अनुसार प्रारूप में शपथ-पत्र
- 4. वैध या समाप्त हुए विदेशी पासपोर्ट की प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 5. वैध या समाप्त हुए निवासी परिमट की प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 6. माता-पिता, दोनों की भारतीय नागरिकता का सबूत अर्थात् भारतीय पासपोर्ट/जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति
- 7. अभिभावक की दशा में अभिभावकता का सबूत संलग्न करें ";
- (iv) प्ररूप 5 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

टिप्पण : कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें/प्रिंट करें

"प्ररूप 5क

[नियम 10क(1)(घ) देखें]

नागरिकता नियम, 2009

किसी व्यक्ति द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ख के अधीन भारतीय नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, जिसके माता-पिता उस अधिनियम की धारा 5(1)(क) या धारा 6(1) के अधीन भारत के नागरिकों के रूप में रिजस्ट्रीकृत हैं, जो धारा 5(1)(ङ) के अधीन शर्तों को पूरा करता है

	भाग I	फोटो	
1.	मैं,(आवेदक का पूरा नाम) निवासी	(पर	ा डाक
	पता) का वय: प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य का/की हूँ तथाकोको(तह		
	सहित) में पैदा हुआ था/हुई थी औरका नागरिक हूँ ।		
2.	मेरे पिता का नामहै	और उनका	जन्म
	को (तहर्सी		र देश
	सहित) में हुआ था और वहका नागरिक है तथ		
	द्वारा धारा	5(1)(<i>क)/धारा</i> 6(1)	द्वारा
	भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।		
3.	मेरे माता का नामहै	और उनका	
	को (तहसील, जिला, राज्य और देश		ौर वह
	का नागरिक है तथा उसे प्रमाणपत्र संख्या		······
	तारीख द्वारा धारा 5(1)(<i>क)/ध</i> नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।	/t/ 0(1)	रत क
4		- 	
4.	मेरी पत्नी/पति का पूरा नाम है को		जन्म
	नागरिक है।		
5.	(क) लिंग:		
•	(ख) उपजीविका :		
	(ग) यदि सेवारत है तो नियोक्ता का पता :		
	(घ) पहचान चिह्न :		
6.	कृपया विनिर्दिष्ट करे कि आप अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान से किस अल्पसंख	त्यक समुदाय, अर्थात्,	हिन्दू,
	सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित है :		
7.	भारत में प्रवेश की तारीख		
8.	पासपोर्ट की विशिष्टियां : (यदि उपलब्ध हों तो)		
	(क) देश :		
9.	वीजा जब तक वैध है (यदि उपलब्ध हो तो) :		

10. आवेदक के साथ भारत में रहने वाले कुटुंब के सदस्यों का विवरण :

क्रम सं.	नाम	वर्तमान पता	नातेदारी	आयु
1	2	3	4	5

11. अपराधिक कार्यवाही का विवरण, यदि कोई हो :

क्रम. सं.	अपराधिक कार्यवाहियों की प्रकृति	मामला दर्ज करने की तारीख और स्थान	मामले की वर्तमान प्रस्थिति	न्यायालय का निर्णय
1	2	3	4	5

भाग II

12.	मैंने भारत की	नागरिकता	को पूर्व	में त्यागा/नर्ह	ों त्यागा	है या	ं मुझे	भारत	कि	नागरिकता	से	वंचित	किया	गया/नहीं
	किया गया है।	l												

(यदि आवेदक ने अपनी भारत की नागरिकता को त्यागा है, यहां उस तारीख का उल्लेख करे, जिसको त्याग की घोषणा की गई है; या यदि उसे उसकी नागरिकता से वंचित किया गया है, तो वह तारीख, जिसको और प्राधिकारी, जिसके द्वारा वंचन का आदेश किया गया था, कथित किये जाएं।)

- 13. मैंने पूर्व में भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है और आवेदन अस्वीकार नहीं किया गया है।
- 14. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा आशय भारत को अपना स्थायी घर बनाने का है और मैं वचन देता हूं कि मेरे आवेदन का अनुमोदन होने की दशा में, मेरे देश की नागरिकता अप्रतिसंहरणीय रूप में त्यागी मानी जाएगी और मैं भविष्य में इस पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा।

	इस पर काइ दावा प्रस्तुत नहा करूगा ।	
15.	मैं सत्यनिष्ठा से और	ि निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि आवेदन में कथित
	पूर्वगामी विशिष्टियां सत्य हैं और मैं यह सत्यनिष्ठ घोषणा विवे	कपूर्ण यह विश्वास करते हुए कर रहा हूं कि वह सत्य है
तारी	ख :	आवेदक के हस्ताक्षर :
	आज तारीख 20 को मेरे समक्ष की गई औ	र हस्ताक्षरित की गई।
		*हस्ताक्षर
		*पदनाम

राजनिष्ठा की शपथ

मैं,	(यहां आवेदक के न	ाम का वर्णन करें) सत्या	नेष्ठा से प्रतिज्ञान करता	हूं (या शपथ लेता हूं) कि मैं
विधि द्वारा स्थापित १	भारत के संविधान के प्र	ति सच्ची श्रद्धा और निष्ठ	रखूंगा और मैं ईमानदा	री से भारत की विधियों का
ईमानदारी से पालन व	करूंगा और भारत के न <u>ा</u>	गरिक के रूप में अपने कल्	व्यों का पूरा करूंगा।	

`	$\overline{}$		
आवदक	क	हस्ताक्षर	

0		7 77		\sim		0 0 2	_
आज तारीख	20	. का मर	र समक्ष प्रतिज्ञान	किया	गया/शपथ त	ता गई और	इस्ताक्षर किए गए ।

* = 3 = 1 9 3 3			
हत्ताक् र	 	 	

*पदना	म	١																		
13.00	-		30.	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	

* नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

(सभी प्रकार से पूर्ण यह प्ररूप नियम 11क के अधीन उस नामनिर्दिष्ट अधिकारी को, नियम 11क में निर्दिष्ट सशक्त समिति को प्रेषित करने के लिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसकी अधिकारिता में आवेदक सामान्य रूप से निवासी है।)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- 1. अनुसूची 1क में के किसी दस्तावेज की प्रति
- 2. अनुसूची 1ख में के किसी दस्तावेज की प्रति
- 3. अनुसूची 1ग के अनुसार प्रारूप में शपथ-पत्र
- 4. वैध या समाप्त हुए विदेशी पासपोर्ट की प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 5. वैध या समाप्त हुए निवासी परमिट की प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 6. नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(क) या 6(1) के अधीन जारी माता-पिता दोनों की भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्रों की प्रतियां।":
- (v) प्ररूप VI के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 6क

[नियम 10क(1)(ड.) देखें]

नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ख के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया आवेदन, जो या जिसके माता या पिता स्वतंत्र भारत का नागरिक था जो इस अधिनियम की धारा 5(1)(च) के अधीन शर्तों को पूरा करता है ।

टिप्पण: कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखे/प्रिंट करें।

भाग I

फोटो	

1.	मैं,	(आवेदक का पूरा नाम	ा) निवासी	(पूरा डाक
	ा) का वय: प्राप्त और पू गैदा हुआ था/हुई थी औ•		(तहसील, जिल	ा, राज्य और देश सहित)
	मेरे पिताजी का पूर रिखव		(तहसील, जिल् रेक है ।	ा, राज्य और देश) में
	मेरी माताजी का पूर तिखव	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(तहसील, जिल् रेक है ।	ता, राज्य और देश) में
	मेरी पत्नी/पति का पूरा मा था/जन्मी थी और व		ला, राज्य और देश) में ता	रीखको
5.			का नामत प धारा 9(1) के आधार प	

_		~ ($\overline{}$	$\overline{}$	27
ก	भारत	Ħ 1	तंबास	क	ब्योर

- (क) भारत में प्रवेश की तारीख.....
- (ख) मैने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 12 मास की अवधि के दौरान लगातार भारत में निवास किया है

हां/नहीं

गत पांच वर्ष तक के भारत में निवास के ब्यौरे:

क्र.सं.	गत नौ वर्ष तक भारत में निवास के पते के ब्यौरे	से	तक	वर्ष मास
1	2	3	4	5

7	()	Ciu .
1. ((প)	ાલના

- (ख) उपजीविका:....
- (ग) यदि सेवा में है तो नियोजक का पता:
- (घ) पहचान का चिन्ह:

8. कृपया विनिर्दिष्ट करे कि आप अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान से किस अल्पसंख्यक समुदाय, अर्थात्, हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित है :

9. पासपोर्ट की विशिष्टियां: (यदि उपलब्ध हों)

((क)) देश:	(ख))	संख्यां	Ī

- (ख) संख्यांक :....
- 10. किस अवधि तक वीजा (यदि उपलब्ध है) वैध है:....
- 11. ऐसे कटुंब सदस्यों के ब्यौरे जो आवेदक के साथ भारत में निवास कर रहे हैं:

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पता	संबंध	आयु
1	2	3	4	5

12. अपराधिक कार्यवाहियों के ब्यौरे यदि कोई हों:

क्र.सं.	अपराधिक कार्यवाहियों की प्रकृति	मामला रजिस्ट्रीकृत करने की तारीख और स्थान	मामले की वर्तमान प्रास्थिति	न्यायालय का निर्णय
1	2	3	4	5

भाग ॥

13. मैंने भारत की नागरिकता को पूर्व में त्यागा/नहीं त्यागा है या मुझे भारत कि नागरिकता से वंचित किया गया/नहीं किया गया है ।

(यदि आवेदक ने अपनी भारत की नागरिकता को त्यागा है, यहां उस तारीख का उल्लेख करे, जिसको त्याग की घोषणा की गई है; या यदि उसे उसकी नागरिकता से वंचित किया गया है, तो वह तारीख, जिसको और प्राधिकारी, जिसके द्वारा वंचन का आदेश किया गया था, कथित किये जाएं।)

14.	मैंने भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्व में आवेदन किया है/नहीं किया है और आवेदन नामंजूर
	कर दिया गया है/नहीं कर दिया गया है ।

15.	मैं घोषणा करता हूं कि मेरा आशय भारत को अपना स्थायी घर बनाने का है और मैं वचन देता हूं कि मेरे आवेदन का
	अनुमोदन होने की दशा में, मेरे देश की नागरिकता अप्रतिसंहरणीय रूप में त्यागी मानी जाएगी और मैं भविष्य में
	इस पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा ।

	अनुमादन हान का दशा म, मर दश का नागारकता अप्रातसहरणाय रूप म त्यागा माना जाएगा आर म भावष्य म इस पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा ।
16.	मैं, सत्यनिष्ठा से और शुद्ध हृदय से यह घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में कथित पूर्वगामी विशिष्टियां सही हैं और मैं इस सत्यनिष्ठ घोषणा को विवेकपूर्ण रूप से यह विश्वास करते हुए कर रहा हूं कि यह सत्य है ।
	तारीख आवेदक का हस्ताक्षर
	आज तारीख, 20 को मेरे समक्ष की गई और हस्ताक्षरित की गई ।
	*हस्ताक्षर
	*पदनाम
	राज्यनिष्ठा की शपथ
1	मैं,सत्यिनष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं (या शपथ लेता हूं) की मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की विधियों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा तथा भारत के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करुंगा ।
	आवेदक के हस्ताक्षर
	आज तारीख20 को मेरे समक्ष प्रतिज्ञान किया गया/शपथ ली गई और हस्ताक्षर किए गए ।
	*हस्ताक्षर
	*पदनाम

* नागरिकता अधिनियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पदनाम

(सभी प्रकार से पूर्ण यह प्ररूप नियम 11क के अधीन उस नामनिर्दिष्ट अधिकारी को, नियम 11क में निर्दिष्ट सशक्त समिति को प्रेषित करने के लिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसकी अधिकारिता में आवेदक सामान्य रूप से निवासी है।)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- अनुसूची 1क में किसी भी एक दस्तावेज की प्रति 1.
- 2. अनुसूची 1ख में किसी भी एक दस्तावेज की प्रति
- अनुसूची 1ग के अनुसार प्रपत्र में शपथ पत्र 3.
- वैध या समाप्त विदेशी पासपोर्ट, यदि उपलब्ध हो, की प्रति 4.
- वैध या समाप्त आवासीय अनुज्ञा पत्र, यदि उपलब्ध हो, की एक प्रति 5.
- वह साक्ष्य जो आवेदक या उसके माता या पिता में से कोई स्वतंत्र भारत का नागरिक था, अर्थात् पासपोर्ट या जन्म 6. प्रमाण पत्र की प्रति";
- (vi) प्ररूप 7क के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"प्ररूप 7क

[नियम 10क(1)(च) देखें]

नागरिकता नियम, 2009

किसी व्यक्ति, जो धारा 7 के अधीन भारतीय प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है एवं अधिनियम की धारा 5(1)(छ) के अधीन शर्तों को पूरा करता है, के द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ख के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन

टिप्पण: कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखे/प्रिंट करें।

भाग I

$\overline{}$	_ \
फा	टा

1.	. मैं,(आवेदक का पूरा नाम) निवासी को(पूरा डाक पता) का वय: प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य का/की हूँ तथा को(तहसील, जिला, राज्य और देश सहित) में पैदा हुआ था/हुई थी औरका नागरिक हूँ।
2.	. मेरे पिताजी का पूरा नामहै और वहका नागरिक है। तारीखको जन्मे थे और वहका नागरिक है।
3.	. मेरी माताजी का पूरा नामहै और वहत्वतहसील, जिला, राज्य और देश) में तारीखको जन्मी थीं और वहकी नागरिक हैं।
4.	. मेरी पत्नी/पति का पूरा नामहै और वह तहसील, जिला, राज्य और देश) में तारीखको जन्मा था/जन्मी थी और वहका नागरिक है ।
5.	. मैं, धारा 7क के अधीन भारतीय प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्यांक , तारीख द्वारा रजिस्ट्रीकृत था ।
6.	. भारत में निवास के ब्यौरे:
	(क) भारत में प्रवेश की तारीख
	(ख) मैने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 12 मास की अवधि के हां/नहीं दौरान लगातार भारत में निवास किया है गत पांच वर्ष तक के भारत में निवास के ब्यौरे:
	क्र.सं. गत नौ वर्ष तक भारत में निवास के पते के से तक वर्ष मास ब्यौरे
	1 2 3 4 5
7.	. (क) लिंग: (ख) उपजीविका: (ग) यदि सेवा में है तो नियोजक का पता:
	()

18		THE GAZE	TTE OF INDIA : EXT	RAORDINARY	[PART II	[—SEC. 3(i)]
	(घ) पह	ऱ्चान का चिन्ह:				
		नेर्दिष्ट करें कि आप अप रसी और ईसाई से संबंध	क्रगानिस्तान, बंग्लादेश, । रखते हैं।	पाकिस्तान से किस उ	प्रल्पसंख्यक समुदाय	अर्थात् हिंदू
9.	पासपोर्ट की	विशिष्टियां: (यदि उ	पलब्ध हों)			
	(क) देश:		(ख) संख्यांव	ō:		
10.	किस अवधि	तक वीजा (यदि उपल	ब्ध है) वैध है:			
11.	ऐसे कुटुंब स	दस्यों के ब्यौरे] जो आव	वेदक के साथ भारत में ि	नेवास कर रहे हैं:		
	क्र.सं.	नाम	वर्तमान पता	संबंध	आयु	
	1	2	3	4	5	
12.	अपराधिक व	कार्यवाहियों के ब्यौरे, य	ादि कोई हों:			
	क्र.सं.	अपराधिक कार्यवाहियों की प्रकृति	मामला रजिस्ट्रीकृत र्व तारीख और स्थान	ो मामले की वर्तमान प्रास्थिति	न्यायालय का निर्णय	
	1	2	3	4	5	
			भाग II			
		नागरिकता को पूर्व में	त्यागा/नहीं त्यागा है य	ा मुझे भारत कि नाग	रिकता से वंचित कि	या गया/नही
	किया गया है ।					
			नागरिकता को त्यागा है की नागरिकता से वंचित			
			ला नागारकता स वाचत या था, कथित किये जा		ताराख, ।जसका आ	र प्राप्तिकारा,
			्र नेस्ट्रीकरण के लिए पूर्व	•	हीं किया है और आ ^र	वेदन नामंज <u>ू</u> र
		है /नहीं कर दिया गया				
15.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	गरत को अपना स्थायी ध		• •	
	•		की नागरिकता अप्रतिसं	हरणीय रूप में त्यागी	मानी जाएगी और	मैं भविष्य में
16		रावा प्रस्तुत नहीं करूंग			और अन्य नका से	
16.			 पूर्वगामी विशिष्टियां सर्ह		- '	-
		स करते हुए करता हूं वि				
ता	रीख		आवेदक का ह	स्ताक्षर		

आज तारीख......20.....को मेरे समक्ष की गई और हस्ताक्षरित किया गया ।

*हस्ताक्षर.....

	$\overline{}$	Ф.		
राज	नष्ठा	'का	श	पथ

मैं,	सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान (या शपथ)
	ारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं श्रद्धापूर्वक भारत की
विधियों का पालन करूंगा और भारत	के नागरिक के रूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा ।
	आवेदक का हस्ताक्षर
आज तारीख20	को मेरे समक्ष प्रतिज्ञान किया गया/शपथ ली गई और उस पर हस्ताक्षर किए
गए ।	
	* हस्ताक्षर
	* पदनाम

*नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

(सभी प्रकार से पूर्ण यह प्ररूप नियम 11क के अधीन उस नामनिर्दिष्ट अधिकारी को, नियम 11क में निर्दिष्ट सशक्त समिति को प्रेषित करने के लिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसकी अधिकारिता में आवेदक सामान्य रूप से निवासी है।)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाणपत्र

- 1. अनुसूची 1क में दस्तावेज की कोई एक प्रति
- 2. अनुसूची 1ख में दस्तावेज की कोई एक प्रति
- 3. ऐसे प्ररूप में शपथपत्र जैसा कि अनुसूची 1ग में है
- वैध या अवसित विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 5. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति जैसा कि धारा 7क के अधीन भारत के विदेशी नागरिक कार्ड धारित करते है "; (vii) प्ररूप 8 के क्र.सं. 12 में, -
 - (i) खंड (ग) में 'बारह मास' शब्दों से पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ऐसे मामलों में, जहां आदेवक नीचे दिए गए (घ) के अधीन नहीं आता है-";

- (ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(घ) ऐसे मामलों में जहां आवेदक अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान, में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से आता है—

बारह महीने की उक्त अविध से ठीक पूर्व चौदह वर्षों के दौरान, मैंने कुल मिलाकर पांच वर्ष की अन्यून अविध तक भारत में निवास किया है

हां/ नहीं

क्र.सं.	अंतिम चौदह वर्षों में भारत में निवास का ब्यौरा और पता	तारीख से	तारीख तक	वर्ष मास
1	2	3	4	5
		*		

(viii) प्ररूप 8 के पश्चात्, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप 8क

[नियम 10क(1)(छ) देखें]

नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ख के अधीन भारत के नागरिक के रूप में देशीकरण के लिए आवेदन

टिप्पप	ग: कृपया	स्पष्ट अक्षरों में लिखे/मुद्रित करें	
		भाग 1	फोटो चित्र
1.	आवेदव	क का पूरा नाम:	
य	दि वह वि	क्सी अन्य नाम से सामान्य रूप से जाना जाता है तो ऐसा नाम यहां प्रविष्ट करें:	
2.	वर्तमा	न पता :	
3.	(क)	लिंग:	
	(ख)	उपजीविका:	
	(ग)	यदि सेवा में है तो नियोजक का नाम:	
	(ঘ)	पहचान चिन्ह:	
4.		विनिर्दिष्ट करे कि आप अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान से किस अल्पसं सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित है :	·
5.	जन्म व	का स्थान और तारीख :	
6.	जन्म ह	द्वारा राष्ट्रीयता :	
7.	वर्तमा	न राष्ट्रीयता, यदि भिन्न है:	
8.	(क)	वैवाहिक स्थिति:	
	(ख)	यदि विवाहित है तो विवाह की तारीख	
		और स्थान तथा पति या पत्नी की राष्ट्रीयता	
	(ग)	पति या पत्नी का नाम:	
9.	देश	का पूरा नामहै निवासी और उसका जन्म(तह सहित) मेंतारीख का नागरिक है ।	
10.		का पूरा नामहै निवासी(तहसील, जिला, राज्य और देश सहित) को हुआ था औरकी नागरिक है ।	
11.	क्या अ को उस	ावेदक किसी अन्य देश का नागरिक है जहां किसी भारतीय । देश की विधि या रूढि द्वारा देशीयकरण द्वारा उस देश की । नागरिक होने से निवारित करती है	
12.	भारती	य भाषाओं (जो भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में	

(क)

13.

विनिर्दिष्ट हैं) का नाम जिन्हें वह पर्याप्त रूप से जानता है	
भारत में निवास का ब्यौरा:	

(ख) मैने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 12 मास की अवधि के दौरान लगातार भारत में निवास किया है

भारत में प्रवेश की तारीख.....

हां/नहीं

(ग) बारह मास की उक्त अवधि से ठीक पूर्व चौदह वर्ष के दौरान मैंने कुल मिलाकर पांच वर्ष की अन्यून अवधि तक भारत में निवास किया है।

हां/नहीं

क्र.सं.	पिछले चौदह वर्षों में भारत में निवास का पता सहित ब्यौरे	तारीख से	तारीख तक	वर्ष और मास
1	2	3	4	5

- 14. वे कारण, जिनके लिए आवेदक भारत की नागरिकता अर्जित करने की वांछा रखता है:
- 15. पासपोर्ट की विशिष्टियां (यदि उपलब्ध हों):

(ক)	देश:	(ख)	संख्यांक :
-----	------	-----	------------

- 16.तक वीजा विधिमान्य है (यदि उपलब्ध हों) :
- 17. कुटुम्ब के उन सदस्यों के ब्यौरे जो आवेदक के साथ भारत में रह रहे हैं :

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पता	नातेदारी	आयु
1	2	3	4	5

18. अपराधिक कार्यवाहियों के ब्यौरे, यदि कोई हो:

क्र.सं.	अपराधिक	मामला रजिस्ट्रीकृत	मामले की वर्तमान	न्यायालय का निर्णय
	कार्यवाहियों की	करने की तारीख और	स्थिति	
	प्रकृति	स्थान		
1	2	3	4	5

19.	उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसका आवेदक के
	चरित्र को सत्यापित करते हुए शपथपत्र इसके साथ
	सलंग्न है :

भाग 2

20. मैंने भारत की नागरिकता को पूर्व में त्यागा/नहीं त्यागा है या मुझे भारत कि नागरिकता से वंचित किया गया/नहीं किया गया है।

(यदि आवेदक ने अपनी भारत की नागरिकता को त्यागा है, यहां उस तारीख का उल्लेख करे, जिसको त्याग की घोषणा की गई है; या यदि उसे उसकी नागरिकता से वंचित किया गया है, तो वह तारीख, जिसको और प्राधिकारी, जिसके द्वारा वंचन का आदेश किया गया था, कथित किये जाएं।)

- 21. मैंने इससे पहले भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है/नहीं किया है और आवेदन नामंजूर
- ग में

	किया गया है/नहीं किया गया है।
22.	मैं घोषणा करता हूं कि मेरा आशय भारत को अपना स्थायी घर बनाने का है और मैं वचन देता हूं कि मेरे आवेदन का अनुमोदन होने की दशा में, मेरे देश की नागरिकता अप्रतिसंहरणीय रूप में त्यागी मानी जाएगी और मैं भविष्य में इस पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा।
23.	मैं, सत्यिनिष्ठा और शुद्ध हृदय से घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस आवेदन में कथित पूर्वगामी विशिष्टियां सहीं हैं तथा मैं यह सत्यिनिष्ठा से घोषणा यह विश्वास करते हुए कि वे सही हैं, शुद्ध अंत:करण से करता हूं/करती हूं।
तारी	<u>ब:</u>
	आवेदक का हस्ताक्षर:
	राजनिष्ठा की शपथ
हूं कि	सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान (या शपथ) लेता मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं श्रद्धापूर्वक भारत की विधियों लिन करूंगा और भारत के नागरिक के रूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा ।
	आवेदक का हस्ताक्षर
	आज तारीख20को मेरे समक्ष प्रतिज्ञान किया गया/शपथ ली गई और उस पर हस्ताक्षर किए गए।
	* हस्ताक्षर * पदनाम
	रिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम, जिसके समक्ष ट्रीकरण और घोषणा की गई है या राजनिष्ठा की शपथ ली गई है ।
नार्गा	रेकता अधिनियम, 1955** के अधीन देशीकरण के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के साथ शपथपत्र।
	नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन देशीकरण के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के संबंध में, पृत्र निवासीशपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से और शुद्ध हृदय से यह प्रतिज्ञान हूँ कि इसके साथ संलग्न मेरे आवेदन में कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य हैं।
	यदि मुझे प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पूर्व किसी समय पूर्वगामी विशिष्टियों में से किसी भी शुद्धता परिस्थितियों सी परिवर्तन के कारण प्रभावित होती है तो मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव को लिखित में उसकी तत्काल ा देने का वचन देता हूँ ।
तारीर	आवेदक का हस्ताक्षरव

आवेदक के चरित्र को प्रमाणित करते हुए शपथपत्र

(मद 19 द्वारा)

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन देश	शीयकरण के	प्रमाणपत्र के लिए	(आवेदक	का नाम)
द्वारा किए गए, आवेदन के विषय में, मैं	आय्	वर्ष का हुँ	उपजीवि	का में हुँ,
पुत्र निवासी		शपथ लेता हूं	और सत्यनिष्ठा से और ध	शुद्ध हृदय
से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं	हूँ और मैं	(आवेद	क का नाम) के अच्छे [:]	चरित्र को
सत्यापित करता हूँ ।				
तारीख :	हस्ताक्षर :			
	-	ताम :		
	ड	डाक का पूरा पता :		

(सभी प्रकार से पूर्ण यह प्ररूप नियम 11क के अधीन उस नामनिर्दिष्ट अधिकारी को, नियम 11क में निर्दिष्ट सशक्त समिति को प्रेषित करने के लिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसकी अधिकारिता में आवेदक सामान्य रूप से निवासी है।)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

- 1. अनुसूची 1क में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- 2. अनुसूची 1ख में किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- 3. अनुसूची 1ग के अनुसार प्रारूप में एक शपथ पत्र
- 4. वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 5. वैध या समाप्त हो चुके आवासीय परिमट की एक प्रति यदि उपलब्ध हो
- 6. स्वयं (आवेदक) से एक शपथ पत्र और एक भारतीय नागरिक से आवेदन प्ररूप में उपलब्ध विहित भाषा में आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाला एक शपथ पत्र।
- (ix) प्ररूप 9 में, -
 - (क) शीर्षक में, "(छ)" कोष्ठक और अक्षर के पश्चात "या धारा 6ख" , शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किया जाएगा:
 - (ख) प्रारंभिक पैरा में, "खंड (छ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात, "या धारा 6 ख" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किया जाएगा:
- (x) प्ररूप 10 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप 10क [नियम 14(2क) देखें] नागरिकता नियम, 2009 भारत सरकार गृह मंत्रालय

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

सं.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है, वह धारा 6ख के उपबंधों और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा *5(1) (क)/(ग)/(घ)/(ङ)/(च) के अधीन शर्तों को पूरा करने के फलस्वरूप भारत में प्रवेश की तारीख जैसा कि नीचे क्र.सं.—8 में उल्लिखित किया गया है, से भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

- 175
1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. माता का नाम :
4. पति/पत्नी का नाम :
5. जन्म की तारीख :
6. जन्म का स्थान :
7. पिछली राष्ट्रीयता :
8. प्रवेश की तारीख:
9. उपजीविका :
10. पहचान चिह्न :
11. पता :
जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
फोटोग्राफ
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर जारी करने का स्थान
जारी करने की तारीख
*जो लागू न हो उसे काट दें।";
(xi) प्ररूप 11 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
"प्ररूप 11क
(नियम 14(2क) देखें)
नागरिकता नियम, 2009
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है, वह धारा 6ख के उपबंधों और नागरिकता नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(छ) के अधीन शर्तों को पूरा करने के फलस्वरूप भारत में प्रवेश की तारीख, जैसा कि नीचे क्र.सं.—8 में उल्लेखित किया गया है, से भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है
1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. माता का नाम :
4. पति/पत्नी का नाम :
5. जन्म की तारीख :
6. जन्म का स्थान :
7. पिछली राष्ट्रीयता :
8. प्रवेश की तारीख:
9. उपजीविका :

10. भारत के कार्डधारक के विदेशी नागरिक का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण संख्या, तारीख और जारी करने का स्थान:
11. पहचान चिह्न :
12. पता :
जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
फोटोग्राफ
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
जारी करने का स्थान
जारी करने की तारीख।";
(xii) प्ररूप 12 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
"प्ररूप 12क
(नियम 15(1क) देखें)
नागरिकता नियम, 2009
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
देशीयकरण प्रमाण पत्र
ने अपने संबंध में नीचे दिए गए विवरणों का अभिकथन करते हुए, देशीयकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, और उक्त
फोटोग्राफ जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
विशिष्टयाँ
1. नाम:
2. чता
3. उपजीविका
4. जन्म का स्थान और जन्म की तारीख
5. पिछली राष्ट्रीयता
6. प्रवेश की तारीख
7. वैवाहिक स्थिति
8. पहचान चिह्नः

- 9. पत्नी/पति का नाम और राष्ट्रीयता:.....
- 10. पिता का नाम और राष्ट्रीयता :.....
- 11. माता का नाम और राष्ट्रीयता:.....।";
- (xiii) प्ररूप 13 में, शीर्षक में, "(च)" कोष्ठक और अक्षर के पश्चात, "या धारा 6ख" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (xiv) प्ररूप 14 में, शीर्षक में, "(ग)" कोष्ठक और अक्षर के पश्चात, "या धारा 6 ख" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (xv) प्ररूप 15 में, शीर्षक में, "(घ)" कोष्ठक और अक्षर के पश्चात, "या धारा 6ख" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (xvi) प्ररूप 16 में, शीर्षक में, "(छ)" कोष्ठक और अक्षर के पश्चात, "या धारा 6 ख" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (xvii) प्ररूप 17 में, शीर्षक में, "(1)" कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या धारा 6 ख" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।
- 10. उक्त नियमों में, अनुसूची 1 के पश्चात, निम्नलिखित अनुसूचियाँ अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"अनुसूची 1क

[नियम 10क देखें]

नागरिकता नियम, 2009

यह साबित करने के लिए दस्तावेजों की सूची कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक है [धारा 6ख के अधीन आवेदन जमा करने वाले आवेदकों के लिए]

- 1. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रति
- भारत में विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परिमट
- 3. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय प्राधिकारी द्वारा जारी स्कूल प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र
- 5. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों से कोई अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी अभिकरण द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज
- 6. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र
- 7. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी अभिलेख
- 8. कोई भी दस्तावेज़ जो दर्शाता हो कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी में से कोई एक, तीन देशों अर्थात अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक है या रहा है
- 9. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी प्राधिकरण या सरकारी अभिकरण द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज़ जो यह स्थापित करेगा कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से है

टिप्पण : उपरोक्त दस्तावेज़ उनकी वैधता अवधि के पश्चात भी स्वीकार्य होंगे।

अनुसूची 1ख

[नियम 10क देखें]

नागरिकता नियम, 2009

यह साबित करने के लिए दस्तावेजों की सूची कि आवेदक ने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है[धारा 6ख के अधीन आवेदन जमा करने वाले आवेदकों के लिए]

- 1. भारत आगमन पर वीज़ा और आव्रजन टिकट की प्रति
- 2. विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या भारत में विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परिमट।
- जनगणना संबंधित सर्वेक्षण करते समय भारत में जनगणना प्रगणकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जारी की जाने वाली पर्ची
- 4. भारत में सरकार द्वारा जारी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या परमिट (चालक अनुज्ञप्ति सहित, आधार कार्ड आदि)
- 5. आवेदक का भारत में जारी किया गया राशन कार्ड
- 6. सरकार या न्यायालय द्वारा शासकीय स्टाम्प के साथ आवेदक को जारी किया गया कोई पत्र ।
- 7. भारत में जारी आवेदक का जन्म प्रमाणपत्र।
- 8. आवेदक के नाम पर भारत में भूमि या किराएदारी अभिलेख या रजिस्टर किराया करार ।
- 9. जारी करने की तारीख के साथ पैन कार्ड जारी करने वाला दस्तावेज।
- 10. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी अन्य वित्तीय संस्था जैसे बैंक या किसी अन्य लोक प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज ।
- 11. किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या उसके अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र ।
- 12. आवेदक के नाम पर बैंकों (प्राइवेट बैंकों सहित) या डाकघर खातों से संबंधित और उनके द्वारा जारी अभिलेख और खाता ब्यौरे।
- 13. आवेदक के नाम पर भारत में बीमा कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसियां।
- 14. आवेदक के नाम पर विद्युत संयोजन कागजात या विद्युत बिल या अन्य उपयोगिता बिल।
- 15. आवेदक के संबंध में न्यायालय या अधिकरण अभिलेख या आदेशिकाएं।
- 16. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)/साधारण भविष्य निधि/पेंशन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) दस्तावेजों द्वारा समर्थित भारत में किसी नियोजक के अधीन सेवा या नियोजन दर्शित करने वाला दस्तावेज।
- 17. भारत में जारी आवेदक का विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र।
- 18. विद्यालय या महाविद्यालय या बोर्ड या विश्वविद्यालय अथवा शासकीय संस्था द्वारा जारी किया गया अकादमिक प्रमाणपत्र ।
- 19. आवेदक को जारी किया गया नगरपालिका व्यापार लाइसेंस
- 20. विवाह प्रमाणपत्र।

टिप्पण : (i) उपरोक्त दस्तावेज किसी भारतीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने चाहिए और वे उनकी वैधता अवधि के आगे भी स्वीकार्य होंगे ।

(ii) दस्तावेजों से यह सिद्ध होना चाहिए कि आवेदक ने भारत में 31.12.2014 को या उसके पूर्व प्रवेश किया था ।

अनुसूची 1ग [नियम 10क देखें] नागरिकता नियम, 2009

आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त या नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ लिया जाने वाला अनुप्रमाणित शपथ पत्र का नमूना [दस रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दिए जाने हेतु]

31	<u>शपथ पत्र</u>	
मैं, पुत्र/पुत्री/प सत्यनिष्ठा से यह घोषित और पुष्टि करता हूं कि		निवासी
(i) मैं भारत में मेरे प्रवेश करने की तारीख को काट दे) का अफगान/बांग्लादेशी/पाकिस्तानी न ही संबंधित हूं और मैं(उक्त देश	ागरिक हूं और इस आवेदन को प्र	स्तुत करने की तारीख को उक्त समुदाय से
स्थानीय प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्था से पात्रता	प्रमाणपत्र* संलग्न है ।	
(ii) कि मैं गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा.व और अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 702(अ) और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 अधिनियम, 1946 या उसके अधीन बनाए गए द्वारा छूट प्राप्त हूं।	आदेश सं0 सा.का.नि. 703(अ), की धारा 3 की उपधारा (2) के किसी नियम के उपबंधों या किए	, तारीख 18.07.2016 के निबंधनानुसार खंड (ग) के अधीन और विदेशियों विषय गए आदेशों के लागू होने से केंद्रीय सरकार
(iii) कि मैंने भारत में	.को प्रवेश किया (यथा उपलब्ध त	ारीख, मास और वर्ष दिया जाए)
(iv) मैं यह जानता हूं कि नागरिकता अधिनिय छिपाना अपराध है और यदि बाद में यह पाया सूचना प्रस्तुत की जाती है तो मैं मेरी भारतीय न	जाता है कि मेरे द्वारा इस शपथ प	त्रत्र और/या पात्रता प्रमाणपत्र में कोई गलत
	<u>सत्यापन</u>	
पर (स्थान)पर विश्वास पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास		ो सत्यापित किया गया कि उपरोक्त शपथ र उसमें कुछ भी छिपाया गया नहीं है । अभिसाक्षी
स्टाम्प के साथ अनुप्रमाणन		
रटान्य करावि अगुत्रमागर	<u>*पात्रता प्रमाणपत्र</u>	
	<u>*पात्रता प्रमाणपत्र</u> गामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाण	गपत्र का प्रारूप)
	·	गपत्र का प्रारूप)
(स्थानीय प्रतिष्ठित स	गामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाण संबंधित व्यक्ति के लिए	*
	गामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाण <u>संबंधित व्यक्ति के लिए</u> पु	पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम)
् (स्थानीय प्रतिष्ठित स् मैं,(नाम)	गामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाण संबंधित व्यक्ति के लिए प्रमाण संपुष्ट करता हूं कि मैं र्श्र	पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम)
् (स्थानीय प्रतिष्ठित स् मैं,(नाम) निवासी(पूरा डाक्	तामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाण संबंधित व्यक्ति के लिए पता) संपुष्ट करता हूं कि मैं श्री का नाम)	पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) ो/श्रीमती/सुश्री(अफगान/ पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम)
् (स्थानीय प्रतिष्ठित स् मैं,(नाम) निवासी(पूरा डाक बांग्लादेशी/पाकिस्तानी नागरिक	तामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाण संबंधित व्यक्ति के लिए पता) संपुष्ट करता हूं कि मैं श्री का नाम) पता) को जानता हूं और मेरे स	पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) ो/श्रीमती/सुश्री(अफगान/ पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) पर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार वह
् (स्थानीय प्रतिष्ठित स् मैं,(नाम) निवासी(पूरा डाक बांग्लादेशी/पाकिस्तानी नागरिक निवासी(पूरा डाक्	तामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाण संबंधित व्यक्ति के लिए पता) संपुष्ट करता हूं कि मैं श्री का नाम) पता) को जानता हूं और मेरे स	पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) ो/श्रीमती/सुश्री(अफगान/ पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) पर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार वह
् (स्थानीय प्रतिष्ठित स् मैं,(नाम) निवासी(पूरा डाक बांग्लादेशी/पाकिस्तानी नागरिक निवासी(पूरा डाक हिन्दू/सिख/बौद्ध/जैन/पारसी/ईसाई समुदाय (जे	तामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाण संबंधित व्यक्ति के लिए पता) संपुष्ट करता हूं कि मैं श्री का नाम) पता) को जानता हूं और मेरे स	पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) ो/श्रीमती/सुश्री(अफगान/ पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) पर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार वह
् (स्थानीय प्रतिष्ठित स् मैं,(नाम) निवासी(पूरा डाक बांग्लादेशी/पाकिस्तानी नागरिक निवासी(पूरा डाक हिन्दू/सिख/बौद्ध/जैन/पारसी/ईसाई समुदाय (जे	तामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाण संबंधित व्यक्ति के लिए पता) संपुष्ट करता हूं कि मैं श्री का नाम) पता) को जानता हूं और मेरे स	पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) ो/श्रीमती/सुश्री(अफगान/ पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) पर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार वह धेत है और वह उपरोक्त वर्णित समुदाय का
् (स्थानीय प्रतिष्ठित स् मैं,(नाम) निवासी(पूरा डाक बांग्लादेशी/पाकिस्तानी नागरिक निवासी(पूरा डाक हिन्दू/सिख/बौद्ध/जैन/पारसी/ईसाई समुदाय (जे	तामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाण संबंधित व्यक्ति के लिए पता) संपुष्ट करता हूं कि मैं श्री का नाम) पता) को जानता हूं और मेरे स	पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) ो/श्रीमती/सुश्री(अफगान/ पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) ग्रवींत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार वह धेत है और वह उपरोक्त वर्णित समुदाय का
् (स्थानीय प्रतिष्ठित स् मैं,(नाम) निवासी(पूरा डाक बांग्लादेशी/पाकिस्तानी नागरिक निवासी(पूरा डाक हिन्दू/सिख/बौद्ध/जैन/पारसी/ईसाई समुदाय (जे	तामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाण संबंधित व्यक्ति के लिए पता) संपुष्ट करता हूं कि मैं श्री का नाम) पता) को जानता हूं और मेरे स	पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) ो/श्रीमती/सुश्री(अफगान/ पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) गर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार वह धेत है और वह उपरोक्त वर्णित समुदाय का (हस्ताक्षर) प्रमाणपत्र देने वाले व्यक्ति का नाम
् (स्थानीय प्रतिष्ठित स् मैं,(नाम) निवासी(पूरा डाक बांग्लादेशी/पाकिस्तानी नागरिक निवासी(पूरा डाक हिन्दू/सिख/बौद्ध/जैन/पारसी/ईसाई समुदाय (जे	तामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाण संबंधित व्यक्ति के लिए पता) संपुष्ट करता हूं कि मैं श्री का नाम) पता) को जानता हूं और मेरे स	पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) ते/श्रीमती/सुश्री(अफगान/ पुत्र/पुत्री/पत्नी(नाम) त्र्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार वह धेत है और वह उपरोक्त वर्णित समुदाय का (हस्ताक्षर) प्रमाणपत्र देने वाले व्यक्ति का नाम सामुदायिक संस्था का नाम और पता

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29

11. उक्त नियमों की अनुसूची 4 में, क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"2क	अधिनियम की धारा 6ख के अधीन		
	भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण-आवेदन के साथ	50	"1

[फा. सं. 26011/01/2015-आई.सी.-I(पार्ट)]

बी. सी. जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: नागरिकता नियम, 2009 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. सं. 124(अ), तारीख 25 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सा.का.नि. सं. 1158(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2018 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

- **G.S.R. 172(E).** In exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Citizenship Rules, 2009, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Citizenship (Amendment) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Citizenship Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 10, the following rule shall be inserted, namely: -
 - "10A. Application for grant of citizenship by registration or naturalisation by persons eligible under section 6B.- (1) An application from a person eligible under section 6B, for grant of citizenship by registration or naturalisation, shall not be entertained unless-
 - (a) the application from a person of Indian origin for registration as a citizen of India fulfilling the conditions under clause (a) of sub-section (1) of section 5, is submitted in Form IIA and is in accordance with rule 4 except clauses (a) and (b) of the said rule; or
 - (b) the application from a person who is married to a citizen of India, for registration as a citizen of India fulfilling the conditions under clause (c) of sub-section (1) of section 5, is submitted in Form IIIA and is in accordance with rule 5 except clauses (a) and (b) of subrule (1) of the said rule; or
 - (c) the application from a person who is a minor child of a person who is a citizen of India, for registration as a citizen of India fulfilling the conditions under clause (d) of sub-section (1) of section 5, is submitted in Form IVA and is in accordance with rule 6 except clause (a) of the said rule; or
 - (d) the application from a person whose parents are registered as citizens of India, for registration as a citizen of India fulfilling the conditions under clause (e) of sub-section (1) of section 5, is submitted in Form VA and is in accordance with rule 7 except clauses (a) and (b) of the said rule; or
 - (e) the application from a person who or either of his parents was a citizen of Independent India, for registration as a citizen of India fulfilling the conditions under clause (f) of subsection (1) of section 5, is submitted in Form VIA and is in accordance with rule 8 except clauses (a) and (b) of the said rule; or
 - (f) the application from a person who is registered as an Overseas Citizen of India Cardholder, for registration as a citizen of India fulfilling the conditions under clause (g) of sub-section (1) of section 5, is submitted in Form VIIA and is in accordance with rule 9 except clauses (a) and (b) of the said rule; or

7

- (g) the application from a person for grant of citizenship by naturalisation fulfilling the qualifications for naturalisation under the provisions of the Third Schedule, is submitted in Form VIIIA which includes-
 - (i) an affidavit verifying the correctness of the statements made in the application along with an affidavit from an Indian citizen testifying the character of the applicant; and
 - (ii) a declaration from the applicant that he has adequate knowledge of one of the languages as specified in the Eighth Schedule to the Constitution.

Explanation.—The applicant shall be considered to have adequate knowledge of the concerned language if he can speak or read or write that language.

- (2) Every application made by the applicant under sub-rule (1) shall have a declaration to the effect that the citizenship of his country shall stand renounced irrevocably in the event of his application being approved and that he shall not raise any claim on it in future.
- (3) Every application made under this rule shall be accompanied by
 - (a) a copy of any one of the documents specified in Schedule IA;
 - (b) a copy of any one of the documents specified in Schedule IB; and
 - (c) an affidavit in format specified in Schedule IC. ".
- 3. In the said rules, after rule 11, the following rule shall be inserted, namely:-

"11A. Authority to which application may be made by a person applying under section 6B,-

- (1) An application for registration or naturalisation under section 6B shall be submitted by the applicant in electronic form to the Empowered Committee through the District Level Committee as may be notified by the Central Government.
- (2) On submission of the application, an acknowledgment in Form IX shall be generated electronically.
- (3) The District Level Committee headed by Designated Officer, as may be specified, shall verify the documents submitted by the applicant along with the application.
- (4) The Designated Officer shall administer to the applicant the oath of allegiance as specified in the Second Schedule to the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955) and thereafter, sign the oath of allegiance and forward the same in electronic form along with confirmation regarding verification of documents to the Empowered Committee.
- (5) In case an applicant fails to appear in person to subscribe the application and take oath of allegiance despite giving reasonable opportunities, the District Level Committee shall forward such application to Empowered Committee for consideration of refusal."
- 4. In the said rules, after rule 13, the following rule shall be inserted, namely:-
 - **"13A.** Scrutiny of applications by Empowered Committee. (1) The Empowered Committee referred to in rule 11A may scrutinise the application for grant of citizenship by registration or naturalisation submitted by an applicant under section 6B to ensure that the application is complete in all respects and that the applicant satisfies all the conditions laid down in section 6B.
 - (2) On being satisfied after making such inquiry as it considers necessary for ascertaining the suitability of the applicant that he is a fit and proper person to be registered or naturalised, as the case may be, the Empowered Committee may grant him the citizenship of India.".
- 5. In the said rules, in rule 14, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely: -
 - "(2A) Every person who is registered as a citizen of India under section 6B shall be issued a digital certificate of registration in Form XA or XIA, as the case may be.
 - (2B) Hard copy of the certificate of registration shall be issued to the applicant in case he opts for the same.
 - (2C) The certificate shall be digitally signed or signed by the Chairman of Empowered Committee.".
- 6. In the said rules, in rule 15, after sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely: -
 - "(1A) Every person who by naturalisation is made a citizen of India under section 6B shall be issued a digital certificate of naturalisation in Form XIIA.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 31

- (1B) Hard copy of the certificate of naturalisation shall be issued to the applicant in case he opts for the same
- (1C) The certificate shall be digitally signed or signed by the Chairman of Empowered Committee.".
- 7. In the said rules, in rule 17, -
 - (i) in clause (a), after the word and figure "section 5", the words, figure and letter "or section 6B" shall be inserted;
 - (ii) in clause (b), after the word and figure "section 5", the words, figure and letter "or section 6B" shall be inserted:
 - (iii) in clause (c), after the word and figure "section 5", the words, figure and letter "or section 6B" shall be inserted;
 - (iv) in clause (d), after the word and figure "section 5", the words, figure and letter "or section 6B" shall be inserted;
 - (v) in clause (e), after the word and figure "section 6", the words, figure and letter "or section 6B" shall be inserted:
- 8. In the said rules, in rule 38, after sub-rule (2), following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - "(3) In case of an application submitted under section 6B, the oath of allegiance required by sub-section (2) of section 5 or sub-section (2) of section 6 shall be of no effect, unless it is signed in the presence of, or administered by the Designated Officer as specified in rule 11A.".
- 9. In the said rules, in Schedule I, -
 - (i) after Form II, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM IIA

[See rule 10A(1)(a)]

The Citizenship Rules, 2009

APPLICATION FOR REGISTRATION AS A CITIZEN OF INDIA UNDER SECTION 6B OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955 MADE BY A PERSON OF INDIAN ORIGIN FULFILLING THE CONDITIONS UNDER SECTION 5(1)(a) OF THE ACT

Note: Please write/print in BLOCK LETTER !	Note: 1	Please	write/	print	in	BLO	CK	LET	TERS	;
---	---------	--------	--------	-------	----	-----	----	-----	------	---

PART I

PΗ	Γ	\sim	ЗR	ΔĪ	Þ
ГΠ	\mathbf{o}_{1}	\mathcal{O}	лс	Αг	Τ.

1	I, (mention full name) resident of (with Tehsil, D	istrict State and C	(auntmy)
1.			
	of full age and capacity and was born at (
	and Country) on	and am a ci	tizen of
2.	My father's full name is	at (with Tehsil, l	District,
	State and Country)on		citizen
	of		
3.	My mother's full name is and she was born at (with	Tehsil, District, St	tate and
	Country) onand she is a citizen of		
			~
4.	My wife's/husband's full name is and he/she was born at (-
	and Country)onand he/she	is a	citizen
	of		

								(/ -	
5.	Deta	ails of resi	dence in India:						
	(a)	Date of en	try into India						
	(b) I have resided in India continuously for a period of 12 months immediately preceding the date of application (c) During the eight years immediately preceding the said period of twelve months, I have resided in India for period amounting in the aggregate to not less than six years (d) Details with address of residence in India for the last nine years								
	(c)	of twelve	e months, I have re	esided in India for period					
	(d)	Details v	with address of resid	dence in India for the la	st nine years				
		S.No.	Details with add India for the last r		From	То	Years Months		
		1		2	3	4	5		
6.	(a)	Sex:.							
	(b)	b) Occupation:							
	(c)	f in service, address of employer:							
	(d)	Mark	of identification:						
7.				ity community from A nists, Jains, Parsis and					
3.	Pass	sport partio	culars: (if availab	le)					
	(a) (Country:							
	(b)]	Number: .							
9.	Visa	a valid up	to (if available):						
10.	Deta	ails of fam	ily members who a	re staying in India with	the applicant:				
	S	.No. N	Jame	Present Address	Relationship	A	.ge		
		1	2	3	4		5		

11. Details of criminal proceedings, if any:

S.No.	Nature of the criminal proceedings	Date and place of registering the case	Present status of the case	Judgment of the court
1	2	3	4	5

PART I

12. I have/have not previously renounced or been deprived of the citizenship of India.

(If the applicant has renounced his Indian citizenship, here state the date on which the declaration of renunciation was made; or if he has been deprived of his citizenship, state the date on which and the authority by whom, the order of deprivation was made.)

13. I have/have not previously applied for registration as a citizen of India and the application has/has not been rejected.

14.	4. I hereby declare that my intention is to make India as permanent home and I undertake that the citizenship of my country shall stand renounced irrevocably in the event of my application being approved and that I shall not raise any claim on it in future.					
15.	15. I, do solemnly and sincerely declare that the foregoing pa and I make this solemn declaration conscientiously believing the same					
	Date: Signature	of applicant:				
	Made and subscribed thisdayof20	before me.				
		*Signature				
		*Designation				
	Oath of Allegiance					
	I,					
	Sign	ature of applicant				
	Affirmed/Sworn and subscribed thisdate of	20before me.				
		*Signature				
		*Designation				
	*Signature and designation of the officer authorized under rule 38	•				
	(This Form complete in all respects shall be submitted to the awhose jurisdiction the applicant is ordinarily resident for trans specified in rule 11A)					
	DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION	N BY THE APPLICANT				
1.	1. A copy of any one of the document in Schedule 1A					
2.	2. A copy of any one of the document in Schedule 1B					
3.	3. An Affidavit in format as in Schedule 1C					
4.	4. A copy of the valid or expired Foreign Passport, if available					
5.	5. A copy of the valid or expired Residential Permit, if available					
	6. Evidence of the date of birth of the parents viz. a copy of the pa availability of passport of mother/ father, birth certificate of the applicant nationality of mother/ father.";					
(ii)	(ii) after Form III, the following Form shall be inserted, namely:-					
	"FORM III A					
	[See rule 10A(1)(b)]					
	The Citizenship Rules, 2009					
P	APPLICATION FOR REGISTRATION AS A CITIZ SECTION 6B OF THE CITIZENSHIP ACT, 1 PERSON WHO IS/HAS BEEN MARRIED TO A CITIZEN OF IND UNDER SECTION 5(1)(c) OF THE Note: Please write/print in BLOCK LETTERS PART I	955 MADE BY A IA FULFILLING THE CONDITIONS				
		PHOTOGRAPH				
1.	1. I,	d capacity and was born at (with Tehsil,				

2.	My father's full name is								
3.	My mot	of							
4.			ed at (with Tehsil, (full name of		untry)		on	to Shr	i/
5.				at (with Tehsil, Distr f India by birth/ descent				o	n
6.	Му г	My marriage subsists Yes / No							
7.									
	(a)	Date o	of entry into India						
	(b)			ntinuously for a period e date of application	l of 12	2 months	Y	es/No	
	(c)	of twe		nmediately preceding t resided in India for per s than six years			Y	es/No	
	(d)	Detail	s with address of re	sidence in India for the	last ni	ne years			
		S.No	Details with action for the last nine	ldress of residence in years	India	From	То	Years Months	
		1		2		3	4	5	
0	(-)	C							
8.	(a)	Sex:							
	(b)		•	f employer:					
	(c) (d)			i employer					
9.	` '							nd Pakistan, you belon	•
9.				dhists, Jains, Parsis a				iu rakistan, you belon	g
10.	Pass	port par	ticulars: (if availa	able)					
	(a) C	country:							
	(b) N	Number:	:						
11.	Visa	valid u	p to (if available):.						
12.	Deta	ils of fa	amily members who	are staying in India wit	h the	applicant:			
	S.I	No.	Name	Present Address	R	elationship		Age	
		1	2	3		4		5	
13.	Deta	ils of cr	riminal proceedings	, if any:					
	S.No		ature of the crimin roceedings	Date and place of registering the ca		Present status case	of the	Judgment of the court	

S.No.	Nature of the criminal proceedings	Date and place of registering the case	Present status of the case	Judgment of the court
1	2	3	4	5

PART II

14. I have/have not previously renounced or been deprived of the citizenship of India.

(If the applicant has renounced his Indian citizenship, here state the date on which the declaration of renunciation was made; or if he has been deprived of his citizenship state the date on which and the authority by whom, the order of deprivation was made)

- 15. I have/have not previously applied for registration as a citizen of India and the application has /has not been rejected.
- 16. I hereby declare that my intention is to make India as permanent home and I undertake that the citizenship of my country shall stand renounced irrevocably in the event of my application being approved and that I shall not raise any claim on it in future.

	particulars stated in this application are true and same to be true.	I make this solemn	declaration conscientiously believing th
Ι	Date:		Signature of applicant:
N	Made and subscribed thisdayof	201	before me.
	**Signature		**Designation

Oath of Allegiance

	Sig	nature of	applicant
this	date of	20	before me.

**Signature **Designation

1

(This Form complete in all respects shall be submitted to the **designated officer under rule 11A** within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident for transmission to the **Empowered Committee as specified in rule 11A**)

DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION BY THE APPLICANT

- 1. A copy of any one of the document in Schedule 1A
- 2. A copy of any one of the document in Schedule 1B
- 3. An Affidavit in format as in Schedule 1C

Affirmed/Sworn and subscribed

17.

- 4. A copy of the valid or expired Foreign Passport, **if available**
- 5. A copy of the valid or expired Residential Permit, if available
- 6. Evidence of his/her husband's/wife's Indian nationality viz. copy of Indian passport or birth certificate.
- 7. A copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage.";
- (iii) after Form IV, the following Form shall be inserted, namely:-

^{*}If a citizen of India by registration or naturalization, please mention the number and date of the certificate of registration or naturalization, as the case may be.

^{**}Signature and designation of the officer authorized under rule 38 of the Citizenship Rules, 2009)

12.

"FORM IVA

[See rule 10A(1)(c)]

The Citizenship Rules, 2009

APPLICATION FOR REGISTRATION OF A MINOR CHILD UNDER SECTION 6B OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955 FULFILLING THE CONDITIONS UNDER SECTION 5(1)(d) OF THE ACT

Note: Please write/print in 1	BLOCK LETTERS
-------------------------------	---------------

PART I

				1	PHOTOGRAPH
1.	Full r	name of the minor child:			
2.	Sex:				
3.	Place	& Country of Birth			
4.	Date	of birth:			
5.	Mark	of identification			
6.	Prese	nt address			
7.	(i)	Father's full name:			
	(ii)	Citizen of India by birth/de	escent/registration*/natural	lization*:	
	(iii)	Occupation:			
	(iv)	Passport particulars (if ava	ilable):		
		(a) Country	(b)	Number	
	(v)	Visa valid up to (if availa	ble)		
8.	(i)	Mother's full name:			
	(ii)	Citizen of India by birth/de	escent/registration*/natural	lization*:	
	(iii)	Occupation:			
	(iv)	Passport particulars (if ava	ilable) :		
		(a) Country	(b) Number		
	(v)	Visa valid up to (if availa	ble)		
9.		e specify which of the minori			
		ng to namely, Hindu, Sikhs, I		and Christians	•••••
10.		of entry into India:			
11.	Detai	ls of criminal proceedings, if a			
	S.No.	Nature of the criminal proceedings	Date and place of registering the case	Present status of the case	Judgment of the court
	1	2	3	4	5

PART II

hereby apply on behalf of my child for registration as a citizen of India.

I...... to whom the foregoing particulars relate,

	the citizenship of his country shall stand renounced irrevocably in the event of the application being approved a he shall not raise any claim on it in future.	
	Date	
14.	I,do solemnly and sincerely declare that the foregoing particulars stated in tapplication are true and I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.	he
	Date Signature of parent/guardian	
	Made and subscribed this day of 20 before me.	
	Signature	
	Designation	
	*If a citizen of India by registration or naturalization, please mention the number and date of the certificate registration or naturalization, as the case may be.	of
	**Signature and designation of the officer authorized under rule 38 of the Citizenship Rules, 2009.	
	(This Form complete in all respects shall be submitted to the designated officer under rule 11A with whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident for transmission to the Empowered Committee specified in rule 11A)	
	DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION BY THE APPLICANT	
1.	A copy of any one of the document in Schedule 1A	
2.	A copy of any one of the document in Schedule 1B	
3.	An Affidavit in format as in Schedule 1C	
4.	A copy of the valid or expired Foreign Passport, if available	
5.	A copy of the valid or expired Residential Permit, if available	
6.	Proof of Indian citizenship of both the parents viz. copy of Indian passport/birth certificate.	
7.	In case of guardian, enclose proof of guardianship.";	
(iv)	after Form V, the following Form shall be inserted, namely:-	
	"FORM VA	
	[See rule 10A (1)(d)]	
	The Citizenship Rules, 2009	
C	APPLICATION FOR REGISTRATION AS A CITIZEN OF INDIA UNDER SECTION 6B OF THE TIZENSHIP ACT, 1955 MADE BY A PERSON WHOSE PARENTS ARE REGISTERED AS CITIZENS OF INDIA UNDER SECTION 5(1)(a) OR SECTION 6(1) FULFILLING THE CONDITIONS UNDER SECTION 5(1)(e) OF THE ACT	3
Not	e: Please write/print in BLOCK LETTERS	
	PART I	
	PHOTOGRAPH	
1.	I,	il,
2.	My father's full name is	

		der section 5(1)(a)/section 6				a citizen of
3.	Country) was re	ner's full name is	and she is a c	itizen of		, and he
4.	and	e's/husband's full name is Country)	on	and he/she	at (with Tehsil, D is a	istrict, State citizen
5.		(a) Sex:				
	(b)	Occupation :				
	(c)	If in service, address of e	employer:			
	(d)	Mark of identification:				
6.]		ify which of the minority Hindu, Sikhs, Buddhists,			n and Pakistan, yo	u belong to
7.	Date of	entry into India				
8.	Passport	particulars: (if available)				
	(a) Co	untry:	(b) Number:			
9.	Visa valid	up to (if available):				
10.	Details of	family members who are s	staying in India with the	applicant:		
	S.No.	Name	Present Address	Relationship	Age	
	1	2	3	4	5	
11.	S.No.	f criminal proceedings, if a Nature of the criminal proceedings	Date and place of registering the case	Present status of the case	Judgment of the court	
	1	2	3	4	5	
			PART II			
12.		ve not previously renounce	•	-		
	renuncia	pplicant has renounced l tion was made; or if he ha. , the order of deprivation w	s been deprived of his c			
13.	I have/harejected.	ave not previously applied	for registration as a cit	tizen of India and the	e application has/h	as not been
14.	country	eclare that my intention is shall stand renounced irrevolution on it in future.				
15.	I, in this ap	plication are true and I mal	do solemnly and si	ncerely declare that to on conscientiously bel	he foregoing partic lieving the same to	ulars, stated be true.
	Date:		Signa	ature of applicant :		
	Made and	subscribed thisday .	of	20 before me	·.	
				*8	ignature	
				*г	Designation	

[भाग	ग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	39
		Oath of Allegiance	
	rm (or swear) that I will bear true faith	(here mention the name of and allegiance to the Constitution of India as and fulfill my duties as a citizen of India.	
		Sign	ature of applicant
Affi	irmed/Sworn and subscribed thisda	yof20before me.	
		*Signature	
		*Designation	
*Sig	gnature and designation of the officer of	authorized under rule 38 of the Citizenship Rul	les, 2009
		pects shall be submitted to the designated of t is ordinarily resident for transmission to th	
DO	CUMENTS TO BE ATTACHED W	TITH THE APPLICATION BY THE APPL	ICANT
1.	A copy of any one of the docume	ent in Schedule 1A	
2.	A copy of any one of the docume	ent in Schedule 1B	
3.	An Affidavit in format as in Sche	edule 1C	
4.	A copy of the valid or expired Fo	reign Passport, if available	
5.	A copy of the valid or expired Re	esidential Permit, if available	
6.	Copies of Indian Citizenship Certiful both the parents.";	ficates issued under Section 5(1)(a) or 6(1) of t	the Citizenship Act, 1955 of
(v)	after Form VI, the following Form sha	all be inserted, namely:-	
		"FORM VIA	
		[See rule 10A(1)(e)]	
		The Citizenship Rules, 2009	
	TIZENSHIP ACT, 1955 MADE BY	TION AS A CITIZEN OF INDIA UNDER A PERSON WHO OR EITHER OF THE P LLING THE CONDITIONS UNDER SECT	ARENTS WAS A CITIZEN
Not	e: Please write/print in BLOCK LETT	ERS	
	0.	PART I	
	Ç		PHOTOGRAPH
1.		of full age and capacity ar	nd was born at (with Tehsil

is

citizen

State and Country)on......and of.....

2.

4.	Country).		oand's full name is	and	he/s	she 	is a	citizen
5	of my par	rents	ceased to be an Indian(nameof co	citizen by virtue o	f section			
6.		-	ence in India:	and y	•			
0.			of entry into India					
	(b)	I have	e resided in India conti diately preceding the da	nuously for a perio	d of 12 m	onths	Yes/No	
	Detail	s of re	esidence in India for the	e last five years:				
	S.No.		Details with address of ror the last nine years	esidence in India	From	То	Years Months	
	1		2		3	4	5	_
								-
7	(a)	Se	x:					
,	(b)		ccupation:					
	` ,		•					
	(c)		in service, address of er					
	(d)	Ma	ark of identification:			•••••		
8.			which of the minority Hindu, Sikhs, Buddh					
9.	Passpo	ort pa	rticulars: (if available	e)				
	(a) Co	untry	······	(b) Numb	er:			
10.	Visa v	alid u	p to (if available):					
11.	Detail	s of fa	amily members who are	e staying in India wi	th the app	olicant:		_
	S.N	lo.	Name	Present Address	Rela	tionship	Age	
	1		2	3		4	5	
				A				
12.	Detail	s of c	riminal proceedings, if	any:				
								٦

S.No.	Nature of the criminal proceedings	Date and place of registering the case	Present status of the case	Judgment of the court
1	2	3	4	5

PART II

13. I have/have not previously renounced or been deprived of the citizenship of India.

(If the applicant has renounced his Indian citizenship, here state the date on which the declaration of renunciation was made; or if he has been deprived of his citizenship state the date on which and the authority by whom, the order of deprivation was made.)

- 14. I have/have not previously applied for registration as a citizen of India and the application has/has not been rejected.
- 15. I hereby declare that my intention is to make India as permanent home and I undertake that the citizenship of my country shall stand renounced irrevocably in the event of my application being approved and that I shall not raise any claim on it in future.
- 16. I......do solemnly and sincerely declare that the foregoing particulars, stated in this application are true, and I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

Made and subscribed thisday of20before me.	
	*Signature
	*Designation

Oath of Allegiance

I,.....do solemnly affirm (or swear) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully observe the laws of India and fulfill my duties as a citizen of India.

Signature	of	applicant														
-----------	----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Signature of applicant

Affirmed/Sworn and subscribed this......day of.....20.....before me.

*Signature

12

*Designation.....

(This Form complete in all respects shall be submitted to the designated officer under rule 11A within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident for transmission to the Empowered Committee as specified in rule 11A)

DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION BY THE APPLICANT

- 1. A copy of any one of the document in Schedule 1A
- 2. A copy of any one of the document in Schedule 1B
- 3. An Affidavit in format as in Schedule 1C

Date

- 4. A copy of the valid or expired Foreign Passport, if available
- 5. A copy of the valid or expired Residential Permit, **if available**
- 6. Evidence that the applicant or either of his parents was a citizen of Independent India viz. copy of passport or birth certificate.";
- (vi) after Form VII, the following Form shall be inserted, namely:-

^{*}Signature and designation of the officer authorized under rule 38 of the Citizenship Rules, 2009

"FORM VIIA

[See rule 10A(1)(f)]

The Citizenship Rules, 2009

APPLICATION FOR REGISTRTION AS A CITIZEN OF INDIA UNDER SECTION 6B OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955 MADE BY A PERSON WHO IS REGISTERED AS AN OVERSEAS CITIZEN OF INDIA CARDHOLDER UNDER SECTION 7 A FULFILLING THE CONDITIONS UNDER SECTION 5(1)(g) OF THE ACT

Note:	Please write/print in BLOCK LETTERS PART I
	PARTI
	PHOTOGRAPH
1.	I, (mention full name) resident of (complete postal address)
2.	My father's full name is
3.	My mother's full name is
4.	My wife's/husband's full name is
5.	and is a citizen of I was registered as an overseas citizen of India cardholder under section 7A <i>vide</i> certificate of registration No
6.	Details of residence in India:
	(a) Date of entry into India
	(b) I have resided in India continuously
	for a period of 12 months immediately Yes/No preceding the date of application
	S.No. Details with address of residence in India for the last nine years To Years Months
	1 2 3 4 5
7.	(a) Sex:
	(b) Occupation
	(c) If in service, address of employer:
	(d) Mark of identification:
8.	Please specify which of the minority community from Afghanistan, you belong to namely, Hindu,

Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians.....

[भाग	II—ख	ण्ड 3(i)]		भार	त का राजपत्र : असाधार	ण		43
9.	Pass	port particu	ılars, if availab	le,:				
		•			(b) Number			
10.	Vis	sa valid up	to (if available)):				
11.	Det	ails of fami	ly members wh	o are stayi	ing in India with the a	pplicant:		
S.	No.	N	Name	Preser	nt Address	Relationship	Age	
	1		2		3	4	5	
			_			·		
1.2	_				·		<u>. </u>	
12.	De	S.No.	ninal proceedin	•	Date and place of	Present status of th	e Judgment of the	
			proceed		registering the case	case	court	
			2		3	4	5	-
		1	2		3	'		_
								_
					PART II			
13.	I hav	e/have not	previously reno	ounced for	been deprived of the o	citizenship of India.		
	(If the	e applicant	has been depr	ived of his	Indian Citizenship, l	here State the date of	n which the decla	ration of
					deprived of his citize	nship state the date o	on which and the	authority
1.4			ler of deprivation			f. Id:d 4h	uliantiau bas/bas	
14.	rejec		previously app	oned for re	egistration as a citizer	n of India and the ap	opiication nas/nas	not been
15.		•	<u>-</u>		nake India as permano			-
	-	-	l stand renounc on it in future.	ed irrevoc	ably in the event of m	y application being ap	pproved and that I	shall not
16.		-		do	solemnly and sincerel	v declare that the fore	egoing particulars.	stated in
10.					olemn declaration cor			
	Date				Sign	nature of applicant		
	Made	and subscr	ibed this	day	of 20	before me.		
					*Signa	ture	•••••	

*Designation

Oath	of /	\ llea	iance
Oaui	OI A	AHE2	iance

	Oath of Allegiance
I,	do solemnly affirm
	swear) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will fully observe the laws of India and fulfill my duties as a citizen of India.
	Signature of applicant
Affi	rmed/Sworn and subscribed this day of
	*Signature
	*Designation
*Sig	nature and designation of the officer authorized under rule 38 of the Citizenship Rules, 2009
	(This Form complete in all respects shall be submitted to the designated officer under rule 11A within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident for transmission to the Empowered Committee as specified in rule 11A)
DO	CUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION BY THE APPLICANT
1.	A copy of any one of the document in Schedule 1A
2.	A copy of any one of the document in Schedule 1B
3.	An Affidavit in format as in Schedule 1C
4.	A copy of the valid or expired Foreign Passport, if available
5.	A copy of the certificate of registration as overseas citizen of India cardholder under section 7A.";
(vii)	in Form VIII, in serial number 12, -
	(i) in clause (c), before the word 'During', the following words, brackets and letter shall be inserted, namely: -
	"In case of applicants not covered by (d) below-";
	(ii) after clause (c), the following shall be inserted, namely:-
	"(d) In case of applicants belonging to Hindu, Sikh,
	Buddhist, Jain, Parsi or Christian community in
	Afghanistan, Bangladesh or Pakistan –
	During the fourteen years immediately preceding
	the said period of twelve months, I have resided in
	India for a period amounting in the aggregate to not
	less than five years Yes/ No

S.No.	Details with address of residence in India for the last fourteen years	From	То	Years	Months
1	2	3	4		5

(viii) after Form VIII, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM VIIIA

[See rule 10A (1) (g)]

The Citizenship Rules, 2009

APPLICATION FOR NATURALIZATION AS A CITIZEN OF INDIA UNDER SECTION 6B OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955

Note: Please write/print in BLOCK LETTERS

PART I

			PHOTOGRAPH			
1.		name of the applicant:	If co	ommonly		
2.	Preser	nt address :				
3.	(a)	Sex:				
	(b)	Occupation:				
	(c)	If in service, address of employer:				
	(d)	Mark of identification:				
4.		e specify which of the minority community from Afghanistan, Bangl g to, namely, Hindu, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians				
5.		and date of birth:				
6.	Natio	nality by birth:				
7.	Preser	nt nationality, if different:				
8.	(a)	Marital Status:				
	(b)	If married, give date and place of marriage				
		and nationality of the spouse				
	(c)	Husband's or wife's name:				
9.		r's full name is resident of				
10.	Mother's full name is					
11.	an Indi	er the applicant is a subject or citizen of any country where an citizen is prevented by law or practice of that country becoming a subject or citizen of that country by sation.				
12.		language that the applicant has adequate knowledge of ges as specified in the Eighth Schedule to the Constitution				

13.	D	. C	1	. •	T . 1' .	
13	Details	αr	acidana	A 111	India	۰

- (a) Date of entry into India
- (b) I have resided in India continuously for a period of twelve months immediately preceding the date of application.

Yes/No

(c) During the fourteen years immediately preceding the said period of twelve months, I have resided in India for a period amounting in the aggregate to not less than **five years**.

Yes/No

S.No.	Details with address of residence in India for the last fourteen years	From	То	Years & months
1	2	3	4	5

1 1	D	C 1	. 1	1	• 1		T 1'	1.1	
14.	Reasons	tor wh	ich a	innlicant	Wishes to) acquire	Indian	citizensh	ın'
1 1.	Iteasons	101 111	iicii u	ppiicuiit	WIBIICS U	, acquire	manum	CITIZCIISII	ıp.

15.	Decement	particulars ((if	ovoil	ahl	(ما	١.
13.	Passport	particulars (ш	avan	anı	ıe,	١.

(a)	Country:	(b)	Number:

- 16. Visa valid up to (**if available**):.....
- 17. Details of family members who are staying in India with the applicant:

S.No.	Name	Present Address	Relationship	Age
1	2	3	4	5

18. Details of criminal proceedings, if any:

S.No.	Nature of	the	Date and place of	Present status of the	Judgment of the court
	criminal		registering the case	case	
	proceedings				
1	2		3	4	5

19. Name and address of a person whose affidavit testifying to the character of the applicant is attached herewith:

PART II

- 20. I have/have not previously renounced or been deprived of the citizenship of India.
 - (If the applicant has renounced his Indian citizenship, here state the date on which the declaration of renunciation was made; or if he has been deprived of his citizenship, state the date on which and the authority by whom, the order of deprivation was made.)
- 21. I have/have not previously applied for naturalization as a citizen of India and the application has/has not been rejected.
- 22. I hereby declare that my intention is to make India as permanent home and I undertake that the citizenship of my country shall stand renounced irrevocably in the event of my application being approved and that I shall not raise any claim on it in future.

23.	I,	do solemnly and sinc	erely declare tha	at the foregoing	particulars, sta	ted in this a	application
	are true, and I m	ake this solemn declara	tion consciention	asly believing th	he same to be tri	ue.	

Date:	
	Signature of applicant:

0 1	•	**		
Oath	ot a	ılleg	rian	ce

			oun of anegunce
			rear) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of faithfully observe the laws of India and fulfil my duties as a citizen of
			Signature of applicant
Affirn	ned/Sw	orn and subscribed this	day of 20 before me.
			*Signature
			*Designation
		and designation of the officer a eclaration or oath of allegiance	uthorized under rule 38 of the Citizenship Rules, 2009, before whom the is made or taken.
Affida	vit to a	accompany the application for	r a certificate of naturalization under the Citizenship Act, 1955**.
		son of residing	for a certificate of naturalization under the Citizenship Act, 1955, at make oath and do solemnly and sincerely affirm that ere unto annexed are true to the best of my knowledge and belief.
•	alteratio	•	s issued to me, the accuracy of any of the foregoing particulars is affected ke to inform the Secretary to the Government of India in the Ministry of
Place.			Signature of applicant
Date			
**Affi	davit to	be attested by Notary/Oath Co	ommissioner/Magistrate.
		Affidavit to	estifying the character of the applicant.
			(vide item 19)
	(na son c	me of the applicant), I of residing	a certificate of naturalisation under the Citizenship Act, 1955, made by aged years, by occupation atmake oath and do solemnly and sincerely affirm that I's (Name of applicant) good character.
Date			Signature
2 4.00			Name
			Full postal address
			be submitted to the designated officer under rule 11A within whose esident for transmission to the Empowered Committee as specified in rule 11A)
DOCU	J MEN T	TS TO BE ATTACHED WIT	TH THE APPLICATION BY THE APPLICANT
1.	A co	py of any one of the document	in Schedule 1A
2.	A co	py of any one of the document	in Schedule 1B
3.	An A	Affidavit in format as in Schedu	ile 1C
4.	A co	py of the valid or expired Fore	ign Passport, if available
5.	A co	py of the valid or expired Resid	dential Permit, if available
6.		affidavit from self (applicant) ne prescribed language availabl	and one affidavit from an Indian national testifying to the character of the e in the application form.";
(ix)	In For	m IX, -	
	(a)	in the heading, after the b shall be inserted;	orackets and letter "(g)", the words, figure and letter "OR SECTION 6B"
	(b)	in the opening personal off	er the word and figure "section 5" the words figure and letter "or section

(x) after Form X, the following Form shall be inserted, namely:-

6B" shall be inserted;

No.....

"FORM XA

[See rule 14(2A)]

The Citizenship Rules, 2009

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that the person whose particulars are given below has been registered as a citizen of India under the

provisions of section 6B and fulfilling the conditions under section *5(1)(a)/(c)/(d)/(e)/(f)) of the Citizenship Act, 1955 with effect from the date of entry into India as mentioned in 8 below –
1. Name :
2. Name of father:
3. Name of mother:
4. Name of the husband/wife:
5. Date of birth:
6. Place of birth:
7. Previous nationality:
8. Date of Entry:
9. Occupation:
10. Marks of identification:
11. Address :
Signature & Seal of Issuing Authority
PHOTOGRAPH
Signature of Registered Person Place of Issue
Date of Issue
*Strike out whichever is not applicable.";
(xi) after Form XI, the following Form shall be inserted namely:-
"FORM XIA
[See rule 14(2A)]
The Citizenship Rules,2009
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
CERTFICATE OF REGISTRATION
No
This is to certify that the person whose particulars are given below has been registered as a citizen of India under the provisions of section 6B and fulfilling the conditions under section $5(1)(g)$ of the Citizenship Act, 1955 with effect from the date of entry into India as mentioned in 8 below-
1. Name :
2. Name of father:
3. Name of mother:
4. Name of husband/wife :
5. Date of birth:
2. Name of father: 3. Name of mother: 4. Name of husband/wife: 5. Date of birth:

6. Place of birth:
7. Previous nationality:
8. Date of Entry:
9. Occupation:
10. Certificate of Registration number, date and place of issue of overseas citizen of India Cardholder:
11. Marks of identification :
12. Address :
PHOTOGRAPH
Signature & Seal of Issuing Authority
Signature of Registered Person
Place of Issue
Date of issue";
(xii) after Form XII, the following Form shall be inserted namely:-
"FORM XIIA
[See rule 15(1A)]
The Citizenship Ruls,2009
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
CERTIFICATE OF NATURALISATION
No
Whereashas applied for a certificate of naturalization, alleging with respect to himself (herself) the particulars set out below, and has satisfied the Government that the conditions laid down in the above mentioned Ac for the grant of naturalisation are fulfilled in the case of the said Now, therefore, in pursuance of the powers conferred by the said Act, the Government hereby grants to the saidthis certificate of naturalization with effect from the date of entry into India as mentioned in 6 below, and declares that he/she shall, subject to the provisions of the said Act, be entitled to all political and other rights, powers and privileges and be subject to all obligations, duties and liabilities to which an Indian citizen is entitled or subject to, and have to all intents and purposes the status of an Indian citizen.
In witness whereof I have hereto subscribed my name this day of
In witness whereof I have hereto subscribed my name this day of
In witness whereof I have hereto subscribed my name this day of PHOTOGRAPH
In witness whereof I have hereto subscribed my name this day of
In witness whereof I have hereto subscribed my name this day of PHOTOGRAPH Signature and Seal of Issuing Authority Particulars
In witness whereof I have hereto subscribed my name this day of PHOTOGRAPH Signature and Seal of Issuing Authority Particulars 1.Name:
In witness whereof I have hereto subscribed my name this day of
In witness whereof I have hereto subscribed my name this day of
In witness whereof I have hereto subscribed my name this day of
In witness whereof I have hereto subscribed my name this day of
In witness whereof I have hereto subscribed my name this day of
In witness whereof I have hereto subscribed my name this day of

- 11. Name and nationality of mother:...;
- (xiii) in Form XIII, in the heading, after the brackets and letter "(f)", the words, figure and letter "OR SECTION 6B" shall be inserted;
- (xiv) in Form XIV, in the heading, after the brackets and letter "(c)", the words, figure and letter "OR SECTION 6B" shall be inserted;
- (xv) in Form XV, in the heading, after the brackets and letter "(d)", the words, figure and letter "OR SECTION 6B" shall be inserted;
- (xvi) in Form XVI, in the heading, after the brackets and letter "(g)", the words, figure and letter "OR SECTION 6B" shall be inserted:
- (xvii) in Form XVII, in the heading, after the bracket and figure "(1)", the words, figure and letter "OR SECTION 6B" shall be inserted:-
- 10. In the said rules, after Schedule I, the following Schedules shall be inserted, namely:-

"SCHEDULE IA

[see rule 10A]

THE CITIZENSHIP RULES, 2009

List of Documents to prove that the applicant is a national of Afghanistan or Bangladesh or Pakistan [for applicants submitting application under section 6B]

- 1. Copy of the passport issued by the Government of Afghanistan or Bangladesh or Pakistan
- 2. Registration Certificate or Residential Permit issued by the Foreigners Regional Registration Officer (FRRO) or Foreigners Registration Officer (FRO) in India
- 3. Birth certificate issued by a Government authority in Afghanistan or Bangladesh or Pakistan
- 4. School certificate or Educational certificate issued by the School or College or Board or University authorities in Afghanistan, Bangladesh or Pakistan
- 5. Identity Document of any kind issued by Government of Afghanistan or Bangladesh or Pakistan or any other Government authorities or Government agencies in these countries
- 6. Any License or Certificate issued by a Government authority of Afghanistan, Bangladesh or Pakistan
- 7. Land or tenancy records in Afghanistan or Bangladesh or Pakistan
- 8. Any document that shows that either of the parents or grandparents or great grandparents of the applicant is or had been a citizen of one of the three countries i.e. Afghanistan or Bangladesh or Pakistan
- 9. Any other document issued by a Government authority or a Government agency in Afghanistan or Bangladesh or Pakistan which will establish that the applicant is from Afghanistan or Bangladesh or Pakistan

Note: The above documents will be admissible even beyond their validity period.

SCHEDULE IB

[see rule 10A]

THE CITIZENSHIP RULES, 2009

List of Documents to prove that the applicant has entered into India on or before 31.12.2014 [for applicants submitting application under section 6B]

- 1. Copy of the visa and immigration stamp on arrival in India
- 2. Registration Certificate or Residential Permit issued by the Foreigners Regional Registration Officer (FRRO) or Foreigners Registration Officer (FRO) in India
- 3. Slip issued by the Census Enumerators in India to such persons while conducting census related survey
- 4. Government issued license or certificate or permit in India (including Driving License, Aadhaar Card etc.)
- 5. Ration Card of the applicant issued in India

- 6. Any letter issued by the Government or Court to the applicant with official stamp
- 7. Birth certificate of the applicant issued in India
- 8. Land or tenancy records or registered rental agreement in India in the name of the applicant
- 9. PAN Card issuance document bearing the date of issuance
- 10. Any other document issued by the Central Government or State Government or any Public Sector Undertakings of Central Government or State Government or any financial institutions like Banks or any other Public Authority
- 11. Certificate issued by an elected member of any rural or urban body or officer thereof or a revenue officer
- 12. Record and account details relating to and issued by the Banks (including Private Banks) or Post Office accounts in the name of the applicant
- 13. Insurance policies issued by the Insurance companies in India in the name of the applicant
- 14. Electricity connection papers or Electricity Bills or other Utility Bills in the name of the applicant
- 15. Court or Tribunal Records or Processes in India in respect of the applicant
- 16. Document showing service or employment under any employer in India supported by Employees Provident Fund (EPF)/ General Provident Fund/ Pension/ Employees' State Insurance Corporation (ESIC) documents
- 17. School leaving certificate of the applicant issued in India
- 18. Academic certificate issued by a school or college or a board or a University or a government institution
- 19. Municipality trade license issued to the applicant
- 20. Marriage Certificate
- Note: (i) The above documents should have been issued by an Indian Authority and will be admissible even beyond their validity period
 - (ii) The documents should establish that the applicant had entered India on or before 31.12.2014

SCHEDULE IC

[see rule 10A]

THE CITIZENSHIP RULES, 2009

Specimen of the Affidavit to be sworn before and attested by a Judicial Magistrate or an Executive Magistrate or an Oath Commissioner or a Notary Public to be submitted along with the application [To be executed on non-judicial stamp paper of rupees Ten]

AFFIDAVIT

I,	son/ daug	ghter/ wife of .	 resident of	do l	nereby solemi	nly declare
and affirm as follows:	-					

- (ii) That I am exempted by the Central Government under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 and from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder in terms of Ministry of Home Affairs Notification No. G.S.R. 685(E) and Order No. G.S.R. 686(E) dated 07.09.2015 and Notification No. G.S.R. 702(E) and Order No. G.S.R. 703(E) dated 18.07.2016.
- (iii) That I entered into India on (Date, month and year to be given as available)
- (iv) I am aware that it is an offence under the Citizenship Act, 1955 to make a false representation or concealment of any material fact and that if it is found later that wrong information has been furnished by me in this Affidavit and/ or in the Eligibility Certificate, I shall be deprived of my Indian citizenship *ab initio*.

VERIFIC	'A TION
VEKIFIC.	AHUN

Verified at (Place) this day of (month & year) that the contents of the above affidavit are tru
and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein.
DEPONIENCE

DEPONENT

Attestation with stamp

*ELIGIBILITY CERTIFICATE

(Format of the Eligibility Certificate from the locally reputed community institution)

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

I, (name), son/ daughter/ wife of (name) residing at
(full postal address) hereby confirm that Mr./Mrs/Ms (name of the Afghan/ Bangladeshi
Pakistani national) son/daughter/ wife of (name) , residing at (ful
postal address) is known to me and to the best of my knowledge and belief, he/ she belongs to Hindu/ Sikh/ Buddhist
Jain/ Parsi/ Christian community (strike out whichever is not applicable) and continues to be a member of the above
mentioned community.
(Signature
Name of the person giving the certificate
Name and address of the community Institution

Date:
Place:".

11. In the said rules, in Schedule IV, after serial number 2 and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"2A	Registration or Naturalisation as a citizen of India under section 6B of the Act -		".
	With the application	50	

[F. No. 26011/01/2015-IC-I(Part)]

Telephone/ Mobile No.:.....

B. C. JOSHI, Jt. Secy.

Note: The Citizenship Rules 2009 was published in the Gazette of India *vide* notification G.S.R. No. 124(E) dated 25th February 2009 and was last amended *vide* notification G.S.R. No. 1158(E) dated 3rd December 2018.